

अनुलग्नक - I

(पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

बकाया ए टी एन की स्थिति

रक्षा मंत्रालय-आयुध निर्माणी बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्ष से अधिक लंबित

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
1.	1989 की सं. 2	11**	155 मि.मी. टोव्ड गन सिस्टम और गोला-बारूद का क्रय एवम् लाइसेंस उत्पादन
2.	1990 की सं. 12	9**	(क) 155 मि.मी. गन सिस्टम तथा (ख) काउंटर ट्रेड के लिए बोफोर्स के साथ संविदा
3.	1991 की सं. 8	10*	मांग से अधिक भंडारों की अधिप्राप्ति
4.		13*	केंद्रीय आयुध डिपो, आगरा
5.	1993 की सं. 8	29*	पर्वतारोहण उपकरणों एवम् क्रीड़ा मर्दों का आयात
6.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
7.	1997 की सं. 7	18**	रक्षा भूमि प्रबंधन
8.	1998 की सं. 7	32*	घटिया सिलेंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
9.	2001 की सं. 7	15**	अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
10.	2001 की सं. 75	@ संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैराओं में से 8 के लिए ए टी एन पहली बार प्राप्त होना अभी बाकी है)	ऑप. विजय (थलसेना) के लिए अधिप्राप्ति की समीक्षा
11.	2003 की सं. 6	2**	रक्षा भूमि का उपयोग
12.		14**	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
13.	2004 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
14.	2005 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों तक लंबित			
15.	2007 की प्रतिवेदन सं. 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थानों चलाने के लिए रक्षा परिसंपत्तियों एवम् लोक निधि का अनधिकृत उपयोग
16.		3.5**	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां/बचतें
17.	2008 की प्रतिवेदन सं. पी ए 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय I**	थलसेना में सामान्य भंडारों तथा पोशाक का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
18.	2008-09 की प्रतिवेदन सं. सी ए 17	2.7*	सेना गोल्फ क्लब द्वारा अधिभुक्त भूमि के पट्टे का अनवीनीकरण

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
19.		3.4*	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी द्वारा ए-1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग
20.		3.5*	गैर-सरकारी प्रयोजनों हेतु सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग
3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक लंबित			
21.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 12	2.1**	एस एम ई आर सी एच मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का त्रुटिपूर्ण आयात
22.		3.6*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां एवम् बचतें
23.		4.1**	गोल्फ क्लब के लिए आवास की अनियमित संस्वीकृति एवम् निर्माण
24.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन***	भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
25.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 14(निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन*	कैन्टीन भंडार विभाग
26.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 35(निष्पादन लेखापरीक्षा)	स्टैंडएलॉन प्रतिवेदन*	रक्षा संपदा प्रबंधन
27.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 11 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	संपूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी, मुम्बई पर विशेष प्रतिवेदन
28.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 24	3.1**	उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय
29.		3.11**	सिविल हाइड परिवहन ठेकेदारों को अनियमित भुगतान
30.		3.14*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां एवम् बचतें
31.		5.2**	संस्वीकृति के बारह वर्षों के बाद भी पुल का निर्माण पूर्ण न होना
		(ii) 3 वर्षों तक लंबित	
32.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण पर राजस्व की हानि
33.		2.3*	छावनी बोर्ड अहमदाबाद में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लाइसेंस शुल्क न लगाए जाने के कारण हानि
34.		3.1**	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी के हितार्थ रक्षा परिसंपत्तियों एवम् श्रमशक्ति का अनधिकृत उपयोग
35.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 18	संपूर्ण प्रतिवेदन*	रक्षा सेवाओं की चिकित्सा स्थापनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
36.	2013 की प्रतिवेदन सं. 30	2.1*	रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन
37.		2.3*	टैंकों में वातानुकूलकों का अप्रवर्तन
38.		2.5*	प्रभावकारी नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
39.		3.1***	एक अपंजीकृत तथा अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी निरीक्षण के बिना घटिया भंडारों की स्वीकृति
40.		3.6***	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग
41.		3.7*	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां, बचतें एवम् लेखाओं में समायोजन
42.		4.4*	ठेकेदारों को वृद्धि प्रभागों का अस्वीकार्य भुगतान
43.	2014 की प्रतिवेदन सं. 35	2.1***	टाटरा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब
44.		2.2***	₹27.32 करोड़ के अस्वीकार्य उपस्करों की अधिप्राप्ति
45.		2.3***	युनाइटेड सर्विस क्लब, मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि
46.		2.4***	रक्षा पट्टा भूमि पर अनियमित निर्माण
47.		2.5***	मांगी गई भूमि के लिए अतिदत्त किराए की गैर-वसूली
48.		2.6***	केन्टीन भंडार विभाग द्वारा बैंडविथ प्रभागों के भुगतान पर निष्फल व्यय
49.		3.1***	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवम् नाभिकीय (सी बी आर एन) उपस्करों की अधिप्राप्ति में ₹ 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय
50.		3.2*	वैधता अवधि के अंदर चाय की अधिप्राप्ति हेतु निविदा स्वीकार करने में विफलता के कारण ₹2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
51.		3.3***	फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्कैपों का संग्रहण न करने के कारण राजस्व की हानि
52.		3.4**	त्रुटिपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति
53.		3.5**	सी ओ डी आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान और अलाभकर निर्गम
54.		3.6***	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां, बचतें एवम् लेखाओं में समायोजन
55.		4.1***	अधिक दरों के निर्माण पर परिहार्य व्यय
56.		4.2***	ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप वृद्धि प्रभागों का परिहार्य भुगतान
57.		4.3***	अनुपयुक्त स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ खर्च करने के पश्चात् कार्य का पूर्व समापन

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. एवम् वर्ष	पैरा सं.	विषय
58.		5.1***	एक बहुप्रयोजन हॉल के निर्माण हेतु निधियों का अनधिकृत उपयोग
59.		5.2***	अव-मृदा की जाँच किए बिना पुल निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ की हानि
60.		7***	रक्षा अनुसंधान एवम् विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना

* लेखापरीक्षा द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की जाँच की गई, परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में मंत्रालय द्वारा अभी संशोधन किया जाना है - 26

** लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एनों की जाँच की गई, परंतु मंत्रालय से अंतिम रूप दिए गए ए टी एनों की प्रति प्रतीक्षित है - 13

*** की गई कार्रवाई की टिप्पणियां पहली बार के लिए भी प्राप्त नहीं हुई - 20

@ आंशिक ए टी एन प्राप्त हुई - 01

अनुलग्नक - II

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 के अनुसार छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवाओं को दर्शानेवाला विवरण

- i. सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिजली की सुविधा प्रदान करना ;
- ii. सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पानी की सुविधा देना ;
- iii. सड़कों, सार्वजनिक स्थलों तथा नालियों की सफाई करवाना, उपद्रवों का शमन तथा हानिकारक वनस्पतियों को हटाना ;
- iv. आक्रमक, धोखादायक तथा हानिकारक व्यापारों, कॉलिंगों तथा प्रथाओं को नियंत्रित करना ;
- v. जनसाधारण की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाओं के आधार पर सड़कों अन्य सार्वजनिक स्थलों में अनावश्यक रुकावटों तथा प्रक्षेपणों को हटाना ;
- vi. खतरनाक इमारतों और जगहों को सुरक्षित करना या हटाना ;
- vii. मृत व्यक्तियों के निपटान के लिए स्थलों का अधिग्रहण, रखरखाव, परिवर्तन तथा नियंत्रण ;
- viii. सड़को, पुलियों, पूलों, नदिपथों, बाजारों, कसाई खानों शौचालयों, प्रिविसों, पेशाबघरों, नालियों, नालिका-निकास कार्यों तथा मल-निकास के कार्यों के निर्माण,परिवर्तन तथा बनाए रखना और उनके प्रयोग को नियंत्रित करना;
- ix. सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ों को लगाना तथा उसे बनाए रखना ;
- x. पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति करना या व्यवस्था करना, जहाँ ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं वहाँ के मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिए प्रदूषित पानी के प्रयोग से बचाव करना तथा ऐसे प्रदूषित जल के प्रयोग करने से रोकना ;
- xi. जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण ;
- xii. भयानक बीमारियों को फैलने से रोकना तथा जाँच करना, जनसामान्य के लिए टीका पद्धति को स्थापित करना तथा उसका बनाए रखना और इसी उद्देश्य से टीका लगवाना ;

- xiii. सार्वजनिक अस्पतालों, प्रसूती तथा बाल-कल्याण केन्द्रों तथा दवाखानों को स्थापित करना तथा बनाए रखना या सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा मदद प्रदान करना ;
- xiv. प्राथमिक विद्यालयों इत्यादि स्थापित करना तथा बनाए रखना या सहयोग करना ;
- xv. आग उन्मूलन में सहायता देना, तथा जब आग लगे तो बिजली और संपत्ति का रक्षण करना ;
- xvi. छावनी की निहित, या सौपी गई संपत्ति के मूल्य, प्रबंधन को बनाए रखना और विकसित करना ;
- xvii. नागरी रक्षा सेवाओं को स्थापित करना तथा बनाए रखना ;
- xviii. टाऊन प्लैनिंग स्कीमों को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना ;
- xix. आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को बनाना तथा कार्यान्वित करना ;
- xx. सड़कों तथा परिसरों का नामकरण तथा नंबर डालना ;
- xxi. इमारत के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान करना या अस्वीकार करना ;
- xxii. सांस्कृतिक तथा खेलों के क्रियाकलापों को आयोजित करना, प्रोत्साहन देना या सहायता देना ;
- xxiii. स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस को मनाना तथा उस पर खर्च करना;
- xxiv. इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अथवा किसी अन्य कानून के तहत दिए गए कर्तव्य को पूरा करना।

अनुलग्नक - III

(पैराग्राफ- 2.1.2.2 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जांच किए गए 17-छावनी बोर्डों की श्रमशक्ति का प्राधिकृत तथा तैनात संख्याबल

क्रम सं.	छावनी बोर्ड	31 मार्च 2010 की स्थिति		31 मार्च 2011 की स्थिति		31 मार्च 2012 की स्थिति		31 मार्च 2013 की स्थिति		31 मार्च 2014 की स्थिति		प्रतिशतता
		प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	
1	लखनऊ/I	613	525	613	517	613	504	604	488	594	470	79
2	देहरादून/I	453	320	453	318	453	304	453	304	453	292	64
3	मेरठ/I	844	730	844	710	843	690	843	668	843	638	76
4	रामगढ़/I	268	239	268	239	268	223	268	212	268	214	80
5	अहमदनगर/I	210	186	209	185	209	182	249	178	209	166	79
6	बैरकपुर/II	214	151	214	140	213	137	213	132	213	125	59
7	क्लेमेन्ट टाउन/II	156	136	156	141	156	129	156	115	156	115	67
8	दानापुर/II	181	136	179	127	179	130	178	128	179	120	67
9	खास योल/II	78	65	77	66	77	64	77	61	75	62	83
10	पंचमारी/II	112	78	100	80	110	82	114	86	114	105	92
11	रानीखेत/II	352	276	351	261	352	252	352	240	352	227	64
12	शिलांग/II	73	62	73	62	73	62	73	62	73	60	82
13	वेल्लिंग्टन/II	190	176	191	175	191	176	191	176	191	175	92
14	छकराता/III	117	76	117	75	118	71	118	70	118	66	56
15	लैंकडाउन/III	102	87	103	84	103	79	103	75	103	71	68
16	डलहाउसी/IV	78	58	79	59	79	56	79	55	79	54	68
17	जालपाहर/IV	56	54	56	54	56	54	56	55	57	51	89
	कुल	4097	3355	4083	3293	4093	3195	4127	3105	4077	3011	74

अनुलग्नक - IV

(पैराग्राफ 2.1.2.5 के संदर्भ में)

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों द्वारा सप्लाई किए गए जल की आपूर्ति तथा नेटवर्क आवरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	छावनी परिषद का नाम	वर्ग	निवासियों की संख्या	नेटवर्क आवरण (प्रतिशत में)	प्रति व्यक्ति को लीटरों में आपूर्ति - एलपीसीडी
1	देहरादून	I	8475	100	150 to 187
2	लखनऊ	I	2275	80	140
3	मेरठ	I	6003	100	140
4	रामगढ़	I	8242	28	70
5	अहमदनगर	II	2947	100	57
6	बैरकपुर	II	1162	100	135
7	क्लेमेंट टाऊन	II	एन ए	एन ए	
8	दानापुर	II	2006	100	158
9	खास्योल	II	1466	100	50
10	पछमढ़ी	II	899	100	56
11	रानीखेत	II	970	100	85
12	शिलाँग	II	156	100	48
13	वेलिंग्टन	II	3609	35	95
14	चक्राता	III	765	100	66
15	लॅणसडाऊन	III	268	99	36
16	डलहौजी	IV	497	100	70
17	जलपहार	IV	70	100	140

अनुलग्नक - V

(पैराग्राफ 2.1.2.6 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धता तथा आबादी को दर्शाने वाला विवरण

छावनी/वर्ग	आबादी	छावनी बोर्डों में चिकित्सा सुविधाएँ		अस्पताल में बिस्तरों की संख्या
		अस्पताल	डिस्पेसरी/ पॉलिक्लिनिक	
मेरठ/I	93312	1	0	70
लखनऊ/I	63003	1	1	44
रामगढ़/I	88781	1	0	32
देहरादून/I	52716	1	1	18
दानापुर/II	28723	0	1	0
क्लेमेंट टाऊन/II	22557	1	0	14
अहमदनगर/II	28986	1	1	36
बैरकपुर/II	17380	1	0	25
वेलिंग्टन/II	19462	1	0	30
रानीखेत/II	18886	0	1	0
शिलाँग/II	11919	0	1	0
खास्योल/II	12028	1	0	20
पछमढ़ी/II	12062	0	1	0
चक्राता/III	5117	0	0	0
लेंप्सडाऊन/III	5667	1	0	33
डलहौजी/IV	3549	1	0	2
जलपहार/IV	1711	0	1	0

अनुलग्नक - VI

(पैराग्राफ 2.1.2.6 के संदर्भ में)

2009 -10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनियों में
शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

छावनी/वर्ग	छावनी बोर्डों में शैक्षणिक सुविधाएँ						
	केजी	प्रा.वि	अं.मा.वि	ज्यु.हा.स्कू	हा.स्कू	जी.आई.सी	इं.का
मेरठ/I	--	4	--	--	--	--	1
लखनऊ/I	--	4	1	1	1	--	--
रामगढ़/I	--	6 मी. स्कू	--	--	1	--	--
देहरादून/I	--	2	1	2	--	1	--
दानापुर/II	-	-	-	-	-	-	--
क्लेमेंट टाऊन/II	-	-	--	1	--	--	--
अहमदनगर/II	1	5	--	--	1	--	--
बैरकपुर/II		2	--	--	--	--	--
वेलिंगटन/II	--	1	--	--	1	--	--
रानीखेत/II	--	4	--	1	1	--	--
शिलाँग/II	--	1	--	--	--	--	--
खास्योल/II	--	4	--	--	1	--	--
पछमढी/II	--	1	--	--	--	--	--
चक्राता/III	-	2	--	--	1	--	--
लॅणसडाऊन/III	--	1	--	--	1	--	--
डलहौजी/IV	-	1	--	--	--	--	--
जलपहार/IV	--	1	--	--	--	--	--

केजी- किंडर गार्टन स्कूल, प्रा.वि- प्राथमिक विद्यालय, अं.मा.वि- अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ज्यु.हा.स्कू- ज्युनियर हाई स्कूल, हा.स्कू- हाई स्कूल, जी.आई.सी- गर्ल्स इंटरमिडिएट कॉलेज, इं.का- इंटरमिडिएट कॉलेज, मी.स्कू- मिडिल स्कूल

अनुलग्नक - VII

(पैराग्राफ 2.1.3.1 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 की अवधि दौरान नमूना जाँच की गईं छावनी बोर्डों द्वारा संस्थापन, नए कार्यों तथा मरम्मत कार्यों पर किए गए खर्च को निर्दिष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	छावनी बोर्ड का नाम / वर्ग	संस्थापन पर व्यय	नए कार्यों पर व्यय	मरम्मत कार्यों पर व्यय	कुल व्यय
1	देहरादून/I	22.63	1	27.23	50.86
2	लखनऊ/I	73.48	0.23	48.86	122.57
3	मेरठ/I	85.32	0	24.71	110.03
4	रामगढ़/I	17.95	2.1	19.17	39.22
5	अहमदनगर/II	30.44	0.66	7.31	38.41
6	बैरकपुर/II	18.1	0	8.73	26.83
7	क्लेमेंट टाऊन/II	10.32	0	14.51	24.83
8	दानापुर/II	13.76	0	4.29	18.05
9	खास्योल/II	14.13	0	2.86	16.99
10	पछमढी/II	7.08	0	7.88	14.96
11	रानीखेत/II	30.07	0	7.28	37.35
12	शिलाँग/II	12.48	0.75	6.53	19.76
13	वेलिंगटन/II	21.5	0	29.61	51.11
14	चक्राता/III	16.71	0	15.54	32.25
15	लॅप्सडाऊन/III	14.94	1.57	12.75	29.26
16	डलहौजी/IV	4.16	0	1.19	5.35
17	जलपहार/IV	5.75	0	7.93	13.68
	कुल	398.82	6.31	246.38	651.51

अनुलग्नक VIII

(पैराग्राफ 2.1.3.2 के संदर्भ में)

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों के संबंध में निधि के प्रत्याशित व्यय तथा वास्तविक आबंटन का प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमानों के अनुसार प्रत्याशित व्यय	प्रधान निदेशक रक्षा संपदा द्वारा निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत बनाम संशोधित अनुमान	व्यय का प्रतिशत बनाम आबंटन
1	देहरादून छावनी बोर्ड					
	2009-10	39.78	29.43	18.10	45.50	61.50
	2010-11	43.92	30.50	21.72	49.45	71.21
	2011-12	48.67	28.97	17.81	36.59	61.48
	2012-13	38.36	31.56	21.06	54.90	66.73
	2013-14	40.92	36.03	20.94	51.17	58.12
2	लखनऊ छावनी बोर्ड					
	2009-10	33.71	33.71	24.92	73.92	73.92
	2010-11	45.37	45.37	27.50	60.61	60.61
	2011-12	40.50	40.50	30.88	76.25	76.25
	2012-13	49.91	49.91	36.77	73.67	73.67
	2013-14	56.36	56.36	41.00	72.74	72.74
3	मेरठ छावनी बोर्ड					
	2009-10	39.05	39.05	28.62	73.29	73.29
	2010-11	41.03	42.60	33.74	82.23	79.20
	2011-12	39.84	39.84	31.96	80.22	80.22
	2012-13	44.64	44.64	37.01	82.91	82.91
	2013-14	59.56	59.50	41.52	69.71	69.78

4	रामगढ़ छावनी बोर्ड					
	2009-10	20.20	20.20	12.20	60.40	60.40
	2010-11	22.51	22.51	13.68	60.77	60.77
	2011-12	21.24	21.24	14.49	68.22	68.22
	2012-13	40.72	41.87	10.94	26.87	26.13
	2013-14	56.86	52.63	22.51	39.59	42.77
5	अहमदनगर छावनी बोर्ड					
	2009-10	13.74	12.33	9.59	69.80	77.78
	2010-11	16.47	14.20	11.50	69.82	80.99
	2011-12	19.62	16.06	12.83	65.39	79.89
	2012-13	21.50	17.22	12.37	57.53	71.84
	2013-14	21.08	19.69	14.70	69.73	74.66
6	बैरकपुर छावनी बोर्ड					
	2009-10	17.70	17.70	7.08	40.00	40.00
	2010-11	20.19	16.79	10.83	53.64	64.50
	2011-12	18.23	18.23	10.69	58.64	58.64
	2012-13	20.55	20.55	9.10	44.28	44.28
	2013-14	18.08	18.08	10.35	57.25	57.25
7	क्लेमेंट टाऊन छावनी बोर्ड					
	2009-10	7.75	7.75	4.82	62.20	62.20
	2010-11	10.53	10.53	8.88	84.33	84.33
	2011-12	16.23	16.23	8.30	51.14	51.14
	2012-13	15.96	15.96	10.16	63.66	63.66
	2013-14	20.25	20.25	10.81	53.38	53.38

8	दानापुर छावनी बोर्ड					
	2009-10	13.22	10.12	3.86	29.20	38.14
	2010-11	18.64	16.25	6.12	32.83	37.66
	2011-12	18.31	18.96	5.41	29.55	28.53
	2012-13	16.80	16.90	7.42	44.16	43.90
	2013-14	19.99	18.10	8.95	44.77	49.45
9	खास्योल छावनी बोर्ड					
	2009-10	3.47	4.89	3.40	97.98	69.53
	2010-11	4.17	5.45	4.24	101.67	77.80
	2011-12	4.71	5.89	4.64	98.51	78.78
	2012-13	5.24	6.39	5.59	106.67	87.48
	2013-14	6.61	7.88	6.66	100.76	84.52
10	पछमढी छावनी बोर्ड					
	2009-10	8.42	6.06	2.70	32.07	44.55
	2010-11	6.27	6.27	5.89	93.94	93.94
	2011-12	13.57	7.60	6.20	45.69	81.58
	2012-13	15.33	14.23	8.40	54.79	59.03
	2013-14	11.11	16.75	8.18	73.63	48.84
11	रानीखेत छावनी बोर्ड					
	2009-10	15.08	15.08	8.49	56.29	56.29
	2010-11	15.20	15.20	13.07	85.99	85.99
	2011-12	16.76	16.76	11.74	70.05	70.05
	2012-13	19.84	19.84	12.89	64.97	64.97
	2013-14	22.23	22.23	13.21	59.42	59.42

12	शिलाँग छावनी बोर्ड					
	2009-10	4.29	5.17	3.33	77.62	64.41
	2010-11	7.96	7.96	4.33	54.40	54.40
	2011-12	6.33	6.50	3.93	62.09	60.46
	2012-13	13.65	13.83	4.25	31.14	30.73
	2013-14	7.81	11.40	6.81	87.19	59.74
13	वेलिंग्टन छावनी बोर्ड					
	2009-10	19.04	12.46	7.35	38.60	58.99
	2010-11	31.63	15.30	14.93	47.20	97.58
	2011-12	37.38	18.86	16.73	44.76	88.71
	2012-13	44.08	26.86	17.74	40.25	66.05
	2013-14	54.54	32.81	21.78	39.93	66.38
14	चक्राता छावनी बोर्ड					
	2009-10	15.89	15.89	5.90	37.13	37.13
	2010-11	11.72	11.72	7.36	62.80	62.80
	2011-12	16.56	16.56	5.31	32.07	32.07
	2012-13	20.48	20.48	6.86	33.50	33.50
	2013-14	24.10	24.10	10.43	43.28	43.28
15	लॅण्डडाऊन छावनी बोर्ड					
	2009-10	8.18	8.18	5.98	73.10	73.10
	2010-11	9.85	9.85	6.52	66.19	66.19
	2011-12	12.64	12.64	7.13	56.41	56.41
	2012-13	13.91	13.91	9.68	69.59	69.59
	2013-14	13.22	13.22	10.51	79.50	79.50

16	डलहौजी छावनी बोर्ड					
	2009-10	3.16	3.16	2.17	68.67	68.67
	2010-11	3.75	3.75	2.78	74.13	74.13
	2011-12	4.19	4.19	3.07	73.27	73.27
	2012-13	5.13	5.13	3.37	65.69	65.69
	2013-14	6.36	6.36	3.85	60.53	60.53
17	जलपहार छावनी बोर्ड					
	2009-10	4.71	4.71	2.83	60.08	60.08
	2010-11	4.53	4.53	3.50	77.26	77.26
	2011-12	5.25	5.25	4.29	81.71	81.71
	2012-13	4.64	4.64	3.30	71.12	71.12
	2013-14	6.66	4.89	3.14	47.15	64.21

देहरादून, क्लेमेंट टाऊन, खास्योल, लॅणसडाऊन तथा डलहौजी छावनी बोर्डों के विषय में बजट अनुमान उपलब्ध नहीं थे। इसलिए छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा- XIX में से आँकड़ों को लिया गया।

पुनरीक्षण अवधि दौरान 17 छावनी बोर्डों में संशोधित अनुमानों तथा बजट आबंटन का प्रतिशत के रूप में छावनी बोर्डों के व्यय ब्योरे

क्र. सं.	छावनी बोर्ड का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय
1	देहरादून	45.50	61.50	49.45	71.21	36.59	61.48	54.90	66.73	51.17	58.12
2	लखनऊ	73.92	73.92	60.61	60.61	76.25	76.25	73.67	73.67	72.74	72.74
3	मेरठ	73.29	73.29	82.23	79.20	80.22	80.22	82.91	82.91	69.71	69.78
4	रामगढ़	60.40	60.40	60.77	60.77	68.22	68.22	26.87	26.13	39.59	42.77
5	अहमदनगर	69.80	77.78	69.82	80.99	65.39	79.89	57.53	71.84	69.73	74.66

क्र. सं	छावनी बोर्ड का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय	संशोधित अनुमान का प्रतिशत के रूप में व्यय	आबंटन का प्रतिशत के रूप में व्यय
6	बैरकपुर	40.00	40.00	53.64	64.50	58.64	58.64	44.28	44.28	57.25	57.25
7	क्लेमेंट टाऊन	62.20	62.20	84.33	84.33	51.14	51.14	63.66	63.66	53.38	53.38
8	दानापुर	29.20	38.14	32.83	37.66	29.55	28.53	44.16	43.90	44.77	49.45
9	खास्योल	97.98	69.53	101.67	77.80	98.51	78.78	106.67	87.48	100.76	84.52
10	पंचमढी	32.07	44.55	93.94	93.94	45.69	81.58	54.79	59.03	73.63	48.84
11	रानीखेत	56.29	56.29	85.99	85.99	70.05	70.05	64.97	64.97	59.42	59.42
12	शिलाँग	77.62	64.41	54.40	54.40	62.09	60.46	31.14	30.73	87.19	59.74
13	वेलिंग्टन	38.60	58.99	47.20	97.58	44.76	88.71	40.25	66.05	39.93	66.38
14	चक्राता	37.13	37.13	62.80	62.80	32.07	32.07	33.50	33.50	43.28	43.28
15	लॅप्स डाऊन	73.10	73.10	66.19	66.19	56.41	56.41	69.59	69.59	79.50	79.50
16	डलहौजी	68.67	68.67	74.13	74.13	73.27	73.27	65.69	65.69	60.53	60.53
17	जलपहार	60.08	60.08	77.26	77.26	81.71	81.71	71.12	71.12	47.15	64.21

स्रोत दस्तावेज: पुनरीक्षण अवधि के लिए 17 छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा-XIX में दिए गए वार्षिक समेकित लेखाओं, बजट अनुमानों तथा प्रस्तुत जानकारी

अनुलग्नक - X

(पैराग्राफ 4.1.1 के संदर्भ में)

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट के शुल्क शीर्ष के अंतर्गत
आबंटन तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जी ई का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	जी ई (यूटिलिटी) मेरठ	1466.25	1455.19	1528.50	1634.77	2009.20	2009.68
2.	जी ई (उत्तर) मेरठ	65.00	59.80	80.00	81.84	102.81	102.81
3.	जी ई (रूड़की)	573.230	631.446	650.00	722.028	746.00	838.054
4.	जी ई (सी/टी) देहरादून	386.520	386.515	371.00	403.610	380.30	405.47
5.	जी ई (एम सी टी ई) मऊ	721.068	721.068	795.200	795.170	777.105	777.105
6.	जी ई (पूर्व) बरेली	239.500	191.661	198.500	198.500	302.000	326.018
7.	जी ई (सेना) सूरतगढ़	750.00	850.00	840.337	992.16	993.00	1002.90
8.	जी ई चण्डीगढ़	510.77	510.77	615.28	615.28	436.58	436.58
9.	जी ई (दक्षिण) जयपुर	844.00	892.71	1226.92	1056.63	1274.05	1343.78
10.	जी ई (पूर्व) जालंधर	1637.20	1637.18	2724.64	2724.69	2274.58	2274.58
11.	जी ई (सी एम ई), दिपोड़ी, पुणे	927.84	927.82	943.56	943.55	834.97	872.57
12.	जी ई (आई) आर एंड डी पाषाण, पुणे	826.21	744.02	810.80	891.52	810.00	748.00
13.	जी ई (एन) एम ई जी सेंटर, बेंगलूर	425.40	425.40	557.85	557.85	599.04	599.04
14.	जी ई (आर एंड डी)(आर सी आई) हैदराबाद	1569.24	1569.24	1943.38	1943.38	2496.58	2498.58
15.	जी ई (एम ई एस) कानपुर	268.39	268.39	353.47	353.47	461.61	461.61
16.	जी ई (ई) लखनऊ	12.00	12.00	9.01	9.01	14.39	14.39
17.	जी ई (पूर्व) इलाहाबाद	483.62	483.62	506.06	506.06	600.00	601.80
18.	जी ई बबीना	502	484.88	511.61	511.31	635.85	647.57
19.	जी ई झांसी	900.00	864.97	955.55	939.55	1209.00	1208.80
20.	जी ई (डब्ल्यू) जबलपुर	1288.77	1215.45	1391.34	1432.58	1399.89	1354.09
21.	जी ई दिपातोली	331.61	319.24	314.07	352.09	338.87	361.59
22.	जी ई (यू) उधमपुर	2225.00	2046.22	2625.38	2418.67	2597.30	2042.51
23.	जी ई सतवारी	824.20	824.21	1025.69	999.12	1228.93	1228.93
24.	जी ई (यूटिलिटी) दिल्ली छावनी	180.00	177.726	242.424	242.424	265.798	265.798
25.	जी ई मीसामरी	256.165	284.74	318.321	352.398	406.06	406.059

क्रम सं.	जी ई का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
26.	जी ई (आई) आर एंड डी (पूर्व) बेंगलूर	1720.40	1720.40	1850.00	1850.00	1953.58	1953.58
27.	जी ई (उत्तर) बिन्नागुडी	-	-	1274.000	1261.007	1378.783	1378.766
28.	जी ई (केन्द्रीय) कोलकाता	-	-	439.00	439.00	505.50	505.50
29.	जी ई अलीपुर	-	-	793.230	793.229	919.00	918.53
30.	जी ई 869 ई डब्ल्यू एस	-	-	78.72	78.72	104.00	104.00

आंकड़ों का स्रोत: उपरोक्त आंकड़ा एम ई एस प्राधिकारियों से प्रदत्त/प्राप्त सूचना से संकलित किया गया है।

अनुलग्नक - XI

(पैराग्राफ 4.1.3.1.ए के संदर्भ में)

शुल्क अनुसूची के गलत प्रयोग के कारण विद्युत प्रभारों के लिए किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जी ई का स्टेशन नाम जिसके द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान किया गया	शुल्क अनुसूची जिसके अंतर्गत विद्युत आपूर्ति अभिकरण द्वारा विद्युत बिलिंग किया गया	एम ई एस के लिए लागू शुल्क अनुसूची	अवधि जिसके लिए राज्य विद्युत आपूर्ति अभिकरण द्वारा गलत बिलिंग किया गया	ऊर्जा एवं नियत प्रभार दरों में अंतर के कारण भुगतान की गयी अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	सहारनपुर (उ. प्र.) जी ई रूड़की	एच वी - 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	93.68
2.	पुरकाजी (उ. प्र.) जी ई रूड़की	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	28.21
3.	बाबूगढ़ जी ई (उत्तर), मेरठ (उ. प्र.)	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 03/2014	53.62
4.	दाब थुआ जी ई (यूटिलिटी) ई/एम मेरठ (उ. प्र.)	एच वी- 1	एल एम वी-1(बी)	10/2012 से 01/2014	32.40
5.	कानपुर जी ई (आई) आर एंड डी, कानपुर	एल एम वी आई ए	एल एम वी आई (बी)	04/2011 से 11/2012	27.89
6.	मऊ जी ई (एम सी टी ई), मऊ (म. प्र.)	एच वी 3.2	एच वी 6.1	04/2011 से 02/2014	352.26
7.	पंचमढी ए जी ई (1) पंचमढी (म. प्र.)	एच वी 3.2	एच वी 6.1	04/2011 से 03/2013	09.96
8.	दपोडी, जी ई (सी एम ई) दपोडी, पुणे	औद्योगिक	आवासीय	04/2011 से 03/2014	104.06
9.	पाषाण, पुणे जी ई (आई) आर एंड डी पाषाण, पुणे	औद्योगिक	आवासीय	04/2009 से 10/2013	110.19
10.	देहरादून जी ई (सी टी), देहरादून (उ. खं)	आर टी एस- 2	आर टी एस-8	04/2011 से 03/2014	31.36
11.	तावी (संगरूर) जी ई (यू) उधमपुर	अनुसूची- 3	अनुसूची- 7	04/2011 से 03/2014	208.49
12.	द्वारका, जी ई (डब्ल्यू) दिल्ली छावनी	एम एल एच आई/एन डी एच टी	सी जी एच एस (एस डी आर)	04/2011 से 01/2014	132.58
				कुल	1184.70

आकड़ों का स्रोत: जी ई द्वारा भुगतान किए गए मासिक विद्युत बिलों और संबंधित स्टेशनों के लिए लागू शुल्क अनुसूची।

अनुलग्नक - XII

(पैराग्राफ 4.1.3.2 के संदर्भ में)

मांग/नियत प्रभारों के परिहार्य भुगतान जी ई/स्टेशन-वार विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	जी ई का नाम, जिसने विद्युत बिलों का भुगतान किया	अवधि, जिसके लिए जी ई द्वारा परिहार्य भुगतान किया गया	वास्तविक, अधिकतम मांग की तुलना में स्फीत/अति आकलित सी एम डी पर नियत/मांग प्रभारों के भुगतान के कारण भुगतान की गई अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	दाबथुआ	जी ई (यूटिलिटी) मेरठ	10/2012 से 12/2013	40.44
2.	शाहजहानपुर	जी ई (पूर्व), बरैली	04/2011 से 03/2014	14.90
3.	सूरतगढ़	जी ई (सेना) सूरतगढ़	04/2009 से 03/2013	63.79
4.	बैंगलूर	जी ई (आई) आर एंड डी (ई) बैंगलूर	01/2013 से 03/2014	34.16
5.	बबीना	जी ई बबीना	04/2011 से 03/2014	11.16
6.	झांसी	जी ई झांसी	04/2011 से 03/2014	13.86
7.	नौगांव (म. प्र.)	जी ई झांसी	04/2011 से 03/2014	11.83
8.	कानपुर	जी ई कानपुर	04/2011 से 03/2014	07.17
9.	जबलपुर	जी ई (डब्ल्यू) जबलपुर,	/2011 से 03/2014	76.79
		जी ई (ई) जबलपुर	03/2011 से 03/2014	37.53
10.	आनंद पर्वत दिल्ली	जी ई (उत्तर), दिल्ली छावनी	04/2011 से 03/2014	12.89
11.	हिरण कूदना दिल्ली	-वही-	04/2011 से 03/2014	05.35
12.	शिलांग	जी ई शिलांग	04/2011 से 03/2014	32.69
13.	दिपातोली	जी ई दिपातोली	04/2011 से 03/2014	26.03
14.	कोलकाता	जी ई (केंद्रीय) कोलकाता	04/2011 से 03/2014	09.76
			कुल	398.35

अनुलग्नक - XIII

(पैराग्राफ 4.1.4.1 के संदर्भ में)

गैर/अल्प वसूली किए गए नियत प्रभारों का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	जी ई/बी एस ओ का नाम	राशि (₹ लाख में)	अवधि
1.	बरेली	जी ई (पूर्व)	07.08	04/2011 से 03/2014
2.	कानपुर	जी ई (आई) आर एंड डी	153.30	01/2011 से 06/2012
3.	दिल्ली छावनी	जी ई (केन्द्रीय)	31.95	03/2008 से 03/2014
		जी ई (दक्षिण)	11.39	04/2011 से 12/2013
4.	अलीपुर	जी ई अलीपुर	07.73	04/2011 से 03/2014
5.	मीसामरी	जी ई मीसामरी	12.24	04/2011 से 03/2014
6.	लीनाखोंग	जी ई 869 ई डब्ल्यू एस	07.70	04/2011 से 03/2014
7.	बिन्नागुड़ी	जी ई (उत्तर) बिन्नागुड़ी	04.77	04/2011 से 03/2014
8.	नगरोता	जी ई नगरोता	01.29	04/2013 से 03/2014
9.	उधमपुर	(i) जी ई (दक्षिण) उधमपुर	02.05	04/2013 से 03/2014
		(ii) जी ई (उत्तर) उधमपुर	01.20	04/2013 से 03/2014
10.	मामुन	जी ई (उत्तर) मामुन	03.92	04/2013 से 03/2014
		कुल	244.62	

अनुलग्नक - XIV

(पैराग्राफ 4.1.4.3 के संदर्भ में)

घरेलू उपभोक्ताओं से जी ई/बी एस ओ द्वारा वसूल नहीं किए गए मीटर किराए को दर्शाने वाला विवरण

जी ई का नाम	संस्थापित किए गए मीटरों की संख्या	शुल्क-सूची के अनुसार मीटर किराया (प्रति माह) (₹ में)	माह	राशि (₹ लाख में)	अवधि
जी ई चांदीमंदिर	4655	11.00 (20-9)	31	15.87	09/2011 से 03/2014
जी ई चंडीगढ़	349	10.00 (मार्च 2013 तक)	24	1.68	04/2011 से 03/2014
		20.00 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)	12		
जी ई (उत्तर) अंबाला	9131	20.00	31	56.61	09/2011 से 03/2014
जी ई (पूर्व) जबलपुर	3732	10.00	24	08.96	04/2011 से 03/2013
	3782	10.00	12	04.54	04/2013 से 03/2014
जी ई (पश्चिम) जबलपुर	5092	10.00	12	06.11	04/2011 से 03/2012
	6135	10.00	24	14.72	04/2012 से 03/2014
कुल				108.49	

अनुलग्नक- XV

(पैराग्राफ 7.1.2 एवं 7.1.6 के संदर्भ में)

उत्पादन लागत एवं निर्गम मूल्य का विवरण

	एम एण्ड सी	डब्ल्यू वी एण्ड ई	ए एण्ड ई	ए वी	ओ ई एफ	योग
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)						
2011-12	2074.90	3812.50	5266.52	3818.35	961.17	15933.44
2012-13	2363.68	3693.91	5285.98	3515.71	1113.16	15972.44
2013-14	2286.95	3655.37	5517.54	2930.54	1246.27	15636.67
वी ओ आई						
2011-12	2368.64	4165.54	5585.65	4263.68	874.88	17273.20
2012-13	2516.28	4109.93	5540.77	3836.42	1115.90	17119.30
2013-14	2382.40	3966.44	5584.44	2926.91	1261.91	16122.10
2013-14 में अवयव-वार लागत का विवरण (₹ करोड़ में)						
सामग्री	1034.76	1928.29	3710.22	2085.45	544.58	9303.30
	(45.25)	(52.75)	(67.24)	(71.16)	(43.70)	(59.50)
श्रम	283.95	426.26	436.40	230.25	327.97	1704.83
	(12.42)	(11.66)	(7.91)	(7.86)	(26.32)	(10.90)
प्रत्यक्ष व्यय	101.35	42.23	66.85	24.23	4.68	239.34
	(4.43)	(1.16)	(1.21)	(0.83)	(0.38)	(1.53)
एफ ओ एच	618.03	876.16	1040.97	431.97	277.35	3244.48
	(27.02)	(23.97)	(18.87)	(14.74)	(22.25)	(20.75)
वी ओ एच	248.86	382.43	263.10	158.64	91.69	1144.72
	(10.88)	(10.46)	(4.77)	(5.41)	(7.36)	(7.32)
योग	2286.95	3655.37	5517.54	2930.54	1246.27	15636.67
भंडार की स्थिति (₹ करोड़ में)						
उपलब्ध भंडार	621.12	978.71	2269.56	1596.99	121.47	5587.85
डब्ल्यू आई पी	419.42	881.02	1002.14	1184.65	50.84	3538.07
तैयार भंडार	335.26	204.35	186.16	559.09	20.11	1304.97
पारगमन में भंडार	41.18	133.22	561.69	116.16	0.73	852.98
योग	1388.91	2197.3	4019.55	3456.89	193.15	11255.80

(स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए आयुध निर्माणियों के वार्षिक लेखे)

(कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अवयव-वार उत्पादन लागत को प्रदर्शित करते हैं)

अनुलग्नक XVI

(पैराग्राफ 7.2.1.4 के संदर्भ में)

चयनित मर्दों का उत्पादन लागत

क्रम संख्या	2011-12			
	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ आर एफ आई	31200	28834	899620800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	31068	28834	895814712
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ओ एफ टी	5400	29757	160687800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए/यू टी)/ओ एफ टी	18603	29757	553569471
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	20000	32221	644420000
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	3548	30182	107086836
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	4050	45344	183643200
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	264	401861	106091304
5	राइफल 7.62 मि.मी. (एम एच ए)/ओ एफ टी	7774	26020	202279480
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (थलसेना)/आर एफ आई	3000	18552	55656000
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	6000	21121	126726000
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(थलसेना/ आई एफ डी/ओ एफ टी	76	1186996	90211696
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना)/जी सी एफ	50	2662431	133121550
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी/एम एच ए)/एफ जी के	11065	40080	443485200
	रिवाल्वर 0.32" सी टी/एम एच ए)/एस ए एफ	7820	28800	225216000
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	10628	30604	325258781
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	8161	39799	324799369
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन (आई एफ डी)/ओ एफ टी	82	2932107	240432774
14	ए के-630 गन (नौसेना)/जी एस एफ	4	65618063	262472250
		4	47075065	188300258
15	40 मि.मी. यू बी जी एल (थलसेना/एम एच ए)/ओ एफ टी	2538	29473	74802474
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (थलसेना)/जी सी एफ	111	1483949	164718339
17	84 मि.मी. राकेट लॉचर एम के-III (थलसेना)/जी एस एफ	838	796113	667142694
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना)/जी सी एफ	54	23247352	1255357008
19	टी-90 टैंक का फाइजल गन संयोजन (आई एफ डी)/जी सी एफ	100	11797962	1179796200
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना)/जी सी एफ	50	4118316	205915800
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना)/जी सी एफ	120	3760872	451304640
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी)/एफ जी के	26	9645622	250786172
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी)/एफ जी के	26	3477538	90415988
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी)/एफ जी के	8	5198717	41589736
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी)/एफ जी के	32	4067324	130154368
	योग			1068,08,76,900

2012-13

क्रम संख्या	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (नौसेना)/ आर एफ आई	685	29988	20541780
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	39590	29988	1187224920
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/ओ एफ टी	3900	32600	127140000
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ओ एफ टी	15438	32600	503278800
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	19724	36818	726198232
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	11035	32419	357743665
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	3201	54418	174192018
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	300	449612	134883600
5	राइफल 7.62 मि.मी. (राज्य पुलिस/यू टी)/ओ एफ टी	6586	23210	152861060
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी./आर एफ आई (थलसेना)	3899	19027	74186273
	पिस्टल आटो 9 मि.मी./आर एफ आई (एम एच ए)	11656	19027	221778712
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	1234	24363	30063942
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(आई एफ डी)/ओ एफ टी	40	830962	33238480
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना) /जी सी एफ	14	2739784	38356976
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी) /एफ जी के	11224	40366	453067984
	रिवाल्वर 0.32" (सी टी)/एम एच ए /एस ए एफ	8399	32241	270792159
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	10840	28883	313091720
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	6296	38085	239783160
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन (आई एफ डी) /ओ एफ टी	84	2529893	212511012
14	ए के-630 गन (नौसेना) /जी एस एफ	5	67157451	335787255
15	40 मि.मी. यू बी जी एल (थलसेना)/ओ एफ टी	4001	51745	207031745
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (डी आर डी ओ) /जी सी एफ	6	1896092	11376552
	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (एम एच ए) /जी सी एफ	15	1025397	15380955
17	84 मि.मी. राकेट लांचर एम के-III (थलसेना) /जी एस एफ	827	783287	647778349
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना) /जी सी एफ	44	23555526	1036443144
19	टी-90 टैंक का फाइनल गन संयोजन (आई एफ डी) /जी सी एफ	39	12918756	503831484
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	22	4066411	89461042
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	235	3868338	909059430
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी) /एफ जी के	30	8733656	262009680
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	27	2923948	78946596
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	21	4450561	93461781
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी) /एफ जी के	9	4046888	36421992
	योग			949,79,24,498

2013-14				
क्रम संख्या	शस्त्र/निर्माता निर्माणी का नाम	निर्मित मात्रा (संख्या)	इकाई उत्पादन लागत (₹)	कुल उत्पादन लागत (₹)
	लघु शस्त्र			
1	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (नौसेना)/ आर एफ आई	820	32746	26851720
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए)/ आर एफ आई	9739	32746	318913294
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (राज्य पुलिस/यू टी)/आर एफ आई	23982	32746	785314572
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (एम एच ए/यू टी)/ओ एफ टी	3609	34482	124445538
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	5055	43557	220180635
2	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (थलसेना)/आर एफ आई	8454	35559	300615786
	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट) (एम एच ए)/आर एफ आई	2050	35559	72895950
3	5.56 मि.मी. एल एम जी (फिक्सड बट) (थलसेना)/एस ए एफ	6303	65154	410665662
4	गन मशीन 7.62 मि.मी. /एस ए एफ	270	527082	142312140
5	राइफल 7.62 मि.मी. (यू टी)/ओ एफ टी	4239	29134	123499026
6	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (एम एच ए)/आर एफ आई	843	20847	17574021
	पिस्टल आटो 9 मि.मी. (यू टी)/आर एफ आई	7545	20847	157290615
7	कार्बाइन 9 मि.मी. (एम एच ए)/एस ए एफ	2339	28197	65952783
8	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन(थलसेना/आई एफ डी)/ओ एफ टी	60	893376	53602560
9	12.7 मि.मी. प्रहरी (नौसेना) /जी सी एफ	34	3462132	117712488
10	रिवाल्वर 0.32" (सी टी) /एस ए एफ	8685	37288	323846280
11	0.32" पिस्टल (सी टी) /जी एस एफ	13952	28284	394618368
12	0.315 स्पोर्टिंग राइफल (सी टी) /आर एफ आई	6740	43926	296061240
	मध्यम क्षमता			
13	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन/ओ एफ टी	72	3765225	271096200
14	ए के-630 गन (नौसेना) /जी एस एफ	7	81290335	569032345
15	40 मि.मी. यू बी जी एल/ओ एफ टी	7000	55557	388899000
	उच्च क्षमता			
16	81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार/जी सी एफ	182	1929423	351154986
17	84 मि.मी. राकेट लॉंचर एम के-III/जी एस एफ	757	821830	622125310
18	105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (थलसेना) /जी सी एफ	13	28114405	365487265
19	टी-90 टैंक का फाइनेल गन संयोजन (आई एफ डी) /जी सी एफ	28	14480990	405467720
20	टी-90 टैंक के लिए स्पेयर बैरल (थलसेना) /जी सी एफ	24	4664847	111956328
21	टी-72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल/जी सी एफ	215	4731040	1017173600
22	टी-90 आयुध (ओ ई) (आई एफ डी) /एफ जी के	21	9256432	194385072
23	पुराने बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	26	3202908	83275608
24	नए बैरल के साथ ओवरहाल (आई एफ डी) /एफ जी के	13	5313149	69070937
25	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (आई एफ डी) /एफ जी के	5	4326133	21630665
	योग			842,31,07,714
	कुल योग			2860,19,09,112
	25 चयनित शस्त्र मर्दों की कुल उत्पादन लागत			यानी ₹2860 करोड़
	छह निर्माणियों में अन्य 43 शस्त्र मर्दों की कुल उत्पादन लागत - ₹758 करोड़			
	अतः 68 मर्दों की कुल उत्पादन लागत पर 25 चयनित शस्त्र मर्दों की उत्पादन लागत की प्रतिशतता- 79%			
	(स्रोत: आयुध निर्माणी संगठन के वार्षिक लेखे खंड I एण्ड II)			

अनुलग्नक- XVI (ए)

(पैराग्राफ 7.2.2.2 के संदर्भ में)

थलसेना की आवश्यकता में वृद्धि

मद	वर्ष	रोल ऑन योजना	पूर्व के माँगपत्रों से प्राप्य शेष	वर्ष के लिए मांगी गयी मात्रा	माँगपत्र प्राप्ति की तारीख	आवश्यकता में वृद्धि (प्रतिशत) $7 = (4+5-3)/3 \times 100$
1	2	3	4	5	6	
81 मि.मी. मोर्टार	2011-12	150	0	321	05.04.2011	114
	2012-13	150	210	188	15.06.2012	165
84 मि.मी. रॉकेट लॉचर एम के-III	2011-12	600	7	1189	21.04.2011	99
	2013-14	300	2	700	29.07.2013	134
स्पेयर बैरल टी-72 टैंक	2012-13	100	20	128 124	09.01.2012 27.03.2012	172
	2013-14	100	37	192	02.09.2013	129
स्पेयर बैरल टी-90 टैंक	2012-13	50	60	30	29.03.2012	80

(स्रोत: थलसेना की रोल ऑन योजना, ओ एफ बी को प्रस्तुत थलसेना के माँगपत्र)

अनुलग्नक- XVI (बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.2 के संदर्भ में)

ओ एफ बोर्ड एवं एम एच ए के मध्य लक्ष्य निर्धारण बैठक में निर्धारित लक्ष्य एवं एम एच ए की रोल ऑन योजना

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्ष	रोल ऑन योजना के अनुसार आवश्यकता (संख्या)	लक्ष्य निर्धारण बैठक के अनुसार लक्ष्य (संख्या)
1.	राइफल 5.56 मि.मी. इंसास	2011-12	42496	45000
		2012-13	47562	54167
		2013-14	44540	9888
2.	पिस्टल आटो 9 मि.मी.	2011-12	21896	10000
		2012-13	23932	10255
		2013-14	26029	2244
3.	एल एम जी 5.56 मि.मी. इंसास	2011-12	3522	2770
		2012-13	3997	2531
		2013-14	3204	1952
4.	81 मि.मी. मोर्टार	2011-12	142	32
		2012-13	161	5
		2013-14	140	4
5.	7.62 मि.मी. एम ए जी	2011-12	81	200
		2012-13	93	48
		2013-14	65	--
6.	कार्बाइन मशीन 9 मि.मी.	2011-12	7404	4530
		2012-13	7957	6096
		2013-14	8565	2935

(स्रोत: एम एच ए की रोल ऑन योजना (2010) तथा लक्ष्य निर्धारण बैठक का कार्यवृत्त)

अनुलग्नक-XVII-ए

(पैराग्राफ 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.2.2.5 एवं 7.2.2.6 के संदर्भ में)

मांगकर्ताओं की आवश्यकता, लक्ष्य, उत्पादन क्षमता, तथा उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट (आर एफ आई, एस ए एफ, ओ एफ टी)	2011-12	77733	45000		122733	45000	55000		100000	81	93000 (5.56 एम एम राइफल फिक्स्ड एवं फोल्डबल बट की संयुक्त क्षमता)	118	106781	107
	2012-13	31133	54167		85300	27733	70000		97733	115		114	97161	99
	2013-14	0	9888		9888	0	72000		72000	728		96	43260	60
5.56 मि.मी. राइफल फोल्डेबल बट (आर एफ आई)	2011-12	8454	4500		12954	4454	5000		9454	73			3548	38
	2012-13	8454	11200		19654	4000	4747		8747	45		11035	126	
	2013-14	8454	1100		9554	8454	9083		17537	184		13722	78	
5.56 मि.मी. एल एम जी (एस ए एफ)	2011-12	8132	2770		10902	0	4000		4000	37	8000	50	3639	91
	2012-13	8132	2531		10663	0	3997		3997	37	8000	50	3360	84
	2013-14	9232	1952		11184	5000	5620		10620	95	8000	133	6293	59
राइफल 7.62 मि.मी. (ओ एफ टी)	2011-12		6000		6000		10000		10000	167	5000	200	7774	78
	2012-13		14990 (अनुमानित)		14990		8000		8000	53	5000	160	6586	82
	2013-14		0		0		4000		4000		5000	80	4239	106
गण मशीन 7.62 मि.मी. (एस ए एफ)	2011-12	378	200		578	0	300	60	360	62	300	120	264	73
	2012-13	378	48		426	160	160	40	360	85	300	120	300	83
	2013-14	721	558 (अनुमानित)	221	1500	400	0	0	400	27	300	133	265	66

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
पिस्टल आटो 9 मि.मी. (आर एफ आई)	2011-12	5806	10000		15806	3000	11000		14000	89	9600	146	13208	94
	2012-13	3899	10255		14154	3899	13661		17560	124	9600	183	15555	89
	2013-14	0	2244		2244	0	16000		16000	713	9600	167	8332	52
कार्बाइन 9 मि.मी. (एस ए एफ)	2011-12		4530		4530		6000		6000	132	7680	78	4458	74
	2012-13		6096		6096		7592		7592	125	7680	99	3632	48
	2013-14		2935		2935		2935		2935	100	7680	38	2640	90
12.7 मि.मी. प्रहरी (जी सी एफ)	2011-12				0			30	30		60	50	0	0
	2012-13				0			35	35		40	88	64	183
	2013-14			10	10			140	140	1400	40	350	40	29
40 मि.मी. यू बी जी एल(ओ एफ टी)	2011-12	11581	0		11581	4000	0		4000	35	1500	267	2549	64
	2012-13	9032	0		9032	4607	0		4607	51	1500	307	4001	87
	2013-14	6732	0		6732	7000	239		7239	108	1500	483	7055	97
ए के- 630 गन (जी एस एफ)	2011-12				0			15	15		10	150	4	27
	2012-13				0			18	18		10	180	5	28
	2013-14				0			15	15		10	150	10	67
81 मि.मी. सी ई एस के साथ मोर्टार (जी सी एफ)	2011-12	321	32		353	111	32		143	41	150	95	145	101
	2012-13	398	5		403	150	50	6	206	51	150	137	146	71
	2013-14	273	4		277	150	50	6	206	74	150	137	182	88
105 मि.मी. सी ई एस के साथ एल एफ जी (जी सी एफ)	2011-12	106			106	54			54	51	34	159	54	100
	2012-13	52			52	52			52	100	34	153	44	85
	2013-14	8			8	54			54	675	34	159	13	24

मद (निर्माणी)	वर्ष	आवश्यकता (संख्या)				निर्माणियों का लक्ष्य (संख्या)				आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	क्षमता		उपलब्धि	
		थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग	थलसेना	एम एच ए	अन्य*	योग		उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	संख्या	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
84 मि.मी. राकेट लॉचर एम के III (जी एस एफ)	2011-12	1196	55		1251	600	405		1005	80	1800	56	804	80
	2012-13	542	0		542	2000	300		2300	424	1800	128	806	35
	2013-14	702	575 (प्रदर्शित)		1277	2500	300		2800	219	1800	156	612	22
टी-72 के लिए स्पेयर बैरल (जी सी एफ)	2011-12	140			140	80		6	86	61	120	72	136	158
	2012-13	272			272	120		20	140	51	200	70	247	176
	2013-14	229			229	270		20	290	127	280	104	215	74
टी-90 के लिए स्पेयर बैरल (जी सी एफ)	2011-12	110			110	40			40	36	33	121	50	125
	2012-13	90			90	40			40	44	33	121	22	55
	2013-14	68			68	40			40	59	33	121	24	60
रिवाल्वर 0.32" (एस ए एफ, एफ जी के)	2011-12							19000	19000		20700	92	20474	108
	2012-13							20000	20000		20700	97	19623	98
	2013-14							20000	20000		20700	97	19153	96
0.32" पिस्टल (जी एस एफ)	2011-12							12000	12000		15000	80	9882	82
	2012-13							12500	12500		12000	104	11563	93
	2013-14							12000	12000		12000	100	13409	112
0.315" स्पोर्टिंग राइफल (आर एफ आई)	2011-12							10000	10000		15000	67	8171	82
	2012-13							10000	10000		15000	67	6296	63
	2013-14							10000	10000		15000	67	6785	68

* अन्य = नौसेना+ओ डी डी+पी एस यू/सी टी

(स्रोत: थलसेना की रोल ऑन योजना, ओ एफ बी को प्रस्तुत थलसेना की मांग, थलसेना मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन तथा शस्त्र निर्माता निर्माणियों के लिए बोर्ड का लक्ष्य, उपलब्धि प्रतिवेदन, आयुध निर्माणियों में क्षमता आकलन समिति की रिपोर्ट)

अनुलग्नक-XVII(बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.3, 7.2.2.5 और 7.2.2.6 के संदर्भ में)

ओ एफ बी द्वारा दिये गये लक्ष्य, क्षमता एवं उपलब्धि का विवरण (आई एफ डी मद)

क्रम संख्या	मद	वर्ष	ओ एफ बी द्वारा दिया गया लक्ष्य (संख्या)		क्षमता		उपलब्धि	
			मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	उत्पादन क्षमता (संख्या)	क्षमता के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य	भौतिक (संख्या)	संशोधित/मूल लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में
1	12.7 मि.मी. एयर डिफेंस गन (ओ एफ टी)	2011-12	50		120	42	91	182
		2012-13	100		120	83	40	40
		2013-14	150		120	125	60	40
2	30 मि.मी. बी एम पी वाहन के लिए कैनन(ओ एफ टी)	2011-12	70	105	110	95	87	83
		2012-13	105		110	95	84	80
		2013-14	105	72	110	65	72	100
3	टी-90 टैंकों के फाइनल गन संयोजन (जी सी एफ)	2011-12	100		100	100	100	100
		2012-13	100		234	43	39	39
		2013-14	100		234	43	53	53
4	टी-90 आयुध (एफ जी के)	2011-12	40	30	33	91	26	87
		2012-13	50		33	152	30	60
		2013-14	50		33	152	10	20
5	बैरल के बिना ओवरहाल (एफ जी के)	2011-12	15	45	120 (संयुक्त क्षमता)	50	26	58
		2012-13	45			50	27	60
		2013-14	45			50	14	31
6	नए बैरल के साथ ओवरहाल (एफ जी के)	2011-12	45	15			8	53
		2012-13	15				21	140
		2013-14	15				42	280
7	105 मि.मी. एल एफ जी आयुध (एफ जी के)	2011-12	36		36	100	32	89
		2012-13	13		36	36	9	69
		2013-14	27		36	75	5	19

(स्रोत: बोर्ड द्वारा शस्त्र निर्माणियों को दिया गया लक्ष्य, निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन, आयुध निर्माणियों में क्षमता आकलन हेतु गठित समिति की प्रतिवेदन)

अनुलग्नक-XVIII(ए)

(पैराग्राफ 7.2.2.6 के संदर्भ में)

उत्पादन निष्पादन का मद-वार विश्लेषण

मद	उपलब्धि (संख्या) (लक्ष्य के प्रति उपलब्धि की प्रतिशतता ¹⁸³)			2011-14 के दौरान लक्ष्य में परिवर्तन (%)	2011-14 के दौरान उत्पादन में परिवर्तन (%)
	2011-12	2012-13	2013-14		
5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट)	3548 (38)	11035 (126)	13722 (78)	85	287
पिस्टल आठो 9 मि.मी.	13208 (94)	15555 (89)	8332 (52)	14	(-)37
0.315" स्पोर्टिंग राइफल	8171 (82)	6296 (63)	6785 (68)	0	(-)17
5.56 मि.मी. एल एम जी	3639 (91)	3360 (84)	6293 (59)	166	73
7.62 मि.मी. मशीन गन	264 (73)	300 (83)	265 (66)	11	0
9 मि.मी. कार्बाइन	4458 (74)	3632 (48)	2640 (90)	(-)51	(-)41
30 मि.मी. कैन्नन (बी एम पी)	87 (83)	84 (80)	100 (100)	(-)31	(-)17
40 मि.मी. यू बी जी एल	2549 (64)	4001 (87)	7055 (97)	81	177
81 मि.मी. मोर्टार	145 (101)	146 (71)	182 (88)	44	26
गन संयोजन टी-90	100 (100)	39 (39)	53 (53)	0	(-)47
स्पेयर बैरल टी-90	50 (125)	22 (55)	24 (60)	0	(-)52
टी-90 आयुध (ओ ई)	26 (87)	30 (60)	10 (20)	67	(-)62
105 मि.मी. एल एफ जी आयुध	32 (89)	9 (69)	5 (19)	(-)25	(-)84
84 मि.मी. राकेट लाँचर मार्क III	804 (80)	806 (35)	612 (22)	179	(-)24
ए के 630 गन	4 (27)	5 (28)	10 (67)	0	150
0.32" पिस्टल	9882 (82)	11563 (93)	13409 (112)	0	36

(स्रोत: शस्त्र मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन तथा शस्त्र निर्माता निर्माणियों को बोर्ड द्वारा दिया गया लक्ष्य व निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन)

¹⁸³ ओ एफ बी द्वारा क्षमता से संबन्धित प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दो मदों के अतिरिक्त, 2011-14 के दौरान क्षमता में परिवर्तन नहीं हुआ। अतः यह माना जा सकता है कि 2011-14 के दौरान, कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई।

विश्लेषण से पता चला कि:

- लेखापरीक्षा में विश्लेषित 16 मदों में से तीन मदों के लिए, 2011-14 के दौरान, बोर्ड ने लक्ष्य कम कर दिया, कुछ मामलों में महत्वपूर्ण रूप से, उदाहरण के लिए, 9 मि.मी. कार्बाइन (51 प्रतिशत) एवं 30 मि.मी. कैन्नन (31 प्रतिशत)। यहाँ तक कि, निर्माणियां न्यूनीकृत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकीं तथा वास्तव में, पिछले वर्षों में, उपलब्धि 17 से 84 प्रतिशत तक गिर गया। उदाहरण के लिए, 105 मि.मी. एल एफ जी आयुध तथा 9 मि.मी. कार्बाइन के लक्ष्य, 2013-14 में, 2011-12 के प्रति, 25 एवं 51 प्रतिशत कम कर दिये गए, किन्तु इन मदों का उत्पादन आगे, 2013-14 में, थलसेना से औपचारिक आदेश की प्राप्ति (अक्टूबर 2013) में विलंब, एम एच ए से कम भुगतान की प्राप्ति तथा 9 मि.मी. कार्बाइन के लिए ट्रिगर संयोजन की अनुपलब्धता के कारण क्रमशः 84 एवं 41 प्रतिशत कम हो गया।
- लक्ष्य में वृद्धि के बावजूद, निर्माणियां लक्ष्य प्राप्ति के लिए चयनित मदों के उत्पादन में वृद्धि कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, 5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट), 5.56 मि.मी. एल एम जी, 81 मि.मी. मोर्टार एवं 40 मि.मी. यू बी जी एल के उत्पादन में वृद्धि हुई, जो कि 2011-14 की अवधि के दौरान लक्ष्य में 44 से 166 प्रतिशत की वृद्धि को पूरा कर सकती थी।
- निर्माणियों ने छह मदों के लक्ष्य की पूर्ति में अधिक एवं 60 प्रतिशत की सतत उपलब्धि दर्शाई¹⁸⁴। तथापि, 2011-14 के दौरान हर वर्ष में, केवल दो मदों यथा, 30 मि.मी. कैन्नन एवं 0.32” पिस्टल के मामले में सतत रूप से 80 प्रतिशत एवं अधिक का उच्च निष्पादन देखा गया। 2013-14 में, गन एवं शेल निर्माणी काशीपुर की 84 मि.मी. राकेट लॉचर मार्क III श्रृंखला के मामले में उपलब्धि, वर्ष के दौरान, गुणवत्ता नियंत्रण में 66 प्रतिशत आर एफ आर सहित, 22 प्रतिशत पायी गयी जिस पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

¹⁸⁴ 0.315” स्पोर्टिंग राइफल, 7.62 मि.मी. मशीन गन, 30 मि.मी. कैन्नन, 40 मि.मी. यू बी जी एल, 81 मि.मी. मोर्टार एवं 0.32” पिस्टल

अनुलग्नक-XVIII(बी)

(पैराग्राफ 7.2.2.6 के संदर्भ में)

लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारण

निर्माणी	मद	कमी का कारण
राइफल निर्माणी, ईशापुर	5.56 मि.मी. राइफल (फोल्डेबल बट)	अक्टूबर 2012 में थोक उत्पादन स्वीकृति की विलंबित प्राप्ति तथा गुणवत्ता समस्याओं के कारण से थलसेना द्वारा माँगपत्र का पूर्व समापन
	9 मि.मी. पिस्टल	व्यापार से इनपुट भंडार की अधिप्राप्ति में बाधा उच्च निर्गम मूल्य के कारण एम एच ए द्वारा कम सामग्री ग्रहण
	0.315" स्पोर्टिंग राइफल	गुणवत्ता समस्याओं के कारण से निजी मांगकर्ताओं द्वारा कम सामग्री ग्रहण
	5.56 मि.मी. राइफल (फिक्स्ड बट)	एम एच ए द्वारा भुगतान न होना
लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	5.56 मि.मी. एल एम जी	संघटकों की विलंबित प्राप्ति (मेटल इंजेक्शन मोल्ड रूप में)
	7.62 मि.मी. एम ए जी	फायरिंग की कम दर के कारण गुणवत्ता समस्या
आयुध निर्माणी, त्रिची	30 मि.मी. कैनन	प्रूफ परीक्षण के लिए गोला बारूद की अनुपलब्धता तथा रूस से संघटकों की प्राप्ति हेतु विलंबित आयात आदेश
	40 मि.मी. यू बी जी एल	निर्माण में (कोटिंग प्रक्रिया) में समस्या तथा सहयोगी निर्माणी से प्रूफ गोला बारूद की आपूर्ति में विलंब
गन एवं सेल निर्माणी, काशीपुर	84 मि.मी. राकेट लॉचर/ ए के 630 गन	आयातित उत्पाद सहयोग के लिए आदेशों के प्रक्रमण में विलंब। आयात से प्राप्त बैरल की अनुपलब्धता
गन कैरेज निर्माणी, जबलपुर	12.7 मि.मी. प्रहरी	नौसेना से औपचारिक आदेश की अनुपलब्धता; अभिकल्प संशोधन की प्राप्ति में विलंब
	81 मि.मी. मोर्टार	आयात के माध्यम से बेस प्लेट की विलंबित अधिप्राप्ति तथा प्रूफ परीक्षण एवं प्रूफ पश्चात कार्यकलापों में विलंब
	स्पेयर बैरल टी-90	टी- 90 एवं टी-72 गन के उत्पादन को प्राथमिकता दिया जाना, सहयोगी निर्माणियों से इनपुट बैरल की कम उपलब्धता
	स्पेयर बैरल टी-72	आयुध निर्माणी कानपुर, फील्ड गन निर्माणी कानपुर से इनपुट बैरल तथा धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर से केशिंग की कम प्राप्ति
	टी-90 गन	आयुध एवं गन के प्रूफ के लिए गोलाबारूद की कमी
	105 मि.मी. एल एफ जी	परीक्षण व प्रूफ पश्चात कार्यकलापों में विलंब तथा औपचारिक आदेशों की विलंबित प्राप्ति .
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर	टी-90 आयुध	मेसर्स मिथानी से इनपुट मदों की विलंबित प्राप्ति
	टी-72 बैरल	धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर से फोर्जिंग की विलंबित प्राप्ति

(स्रोत: शस्त्र मदों के लिए बोर्ड का उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन, निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन तथा बोर्ड/निर्माणियों का उत्तर)

अनुलग्नक-XIX(ए)

(पैराग्राफ 7.2.3.2 के संदर्भ में)

अधिप्राप्ति: आपूर्ति आदेशों के प्रस्तुतीकरण में विलंब (2011-14 के दौरान समय)

निर्माणी (आदेशों की संख्या)	लिया गया समय (महीनों में)	निविदा सूचना का देरी से जारी होना (संख्या)	विलंब से प्रस्तुत आदेश (संख्या)
आर एफ आई (1402)	1-2	788	-
	2-5	471	-
	5-8	56	327
	>8	7	136
	योग		1322(94%)
एस ए एफ (266)	1-2	75	-
	2-5	89	-
	5-8	30	81
	>8	9	26
	योग		203(76%)
जी एस एफ (665)	1-2	257	-
	2-5	84	-
	5-8	63	67
	>8	59	132
	योग		463(70%)
ओ एफ टी (26)	1-2	2	-
	2-5	2	-
	5-8	0	10
	>8	0	8
	योग		4 (15%)
एफ जी के (29)	1-2	4	-
	2-5	8	-
	5-8	1	5
	>8	0	9
	योग		13(45%)
जी सी एफ (34)	1-2	2	-
	2-5	20	-
	5-8	1	10
	>8	7	23
	योग		30(88%)

(स्रोत: निर्माणियों का आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक- XIX(बी)

(पैराग्राफ 7.2.3.3 के संदर्भ में)

सहयोगी निर्माणियों से संघटकों की प्राप्ति

आई एफ डी मद	वर्ष-वार आवश्यकता	प्राप्त मात्रा
धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर से एफ जी के में संघटकों की प्राप्ति		
बैरल फोर्जिंग (टी-72)	2013-14 : 261	2013-14 : 142
केशिंग फोर्जिंग (टी-72)	2013-14 : 364	2013-14 : 184
आयुध निर्माणी कानपुर से जी सी एफ में संघटकों की प्राप्ति		
स्पेयर बैरल टी-90	2013-14 : 21	2013-14 : 6
स्पेयर बैरल टी-72	2012-13 : 118	2012-13 : 107
टी-90 आयुध	2012-13 : 36	2012-13 : 30
फील्ड गन निर्माणी कानपुर से जी सी एफ में संघटकों की प्राप्ति		
स्पेयर बैरल टी-90	2013-14 : 29	2013-14 : 20
स्पेयर बैरल टी-72	2012-13 : 155 2013-14 : 150	2012-13 : 138 2013-14 : 139
टी-90 आयुध	2012-13 : 50 2013-14 : 17	2012-13 : 30 2013-14 : 10
105मि.मी. एल एफ जी आयुध	2012-13 : 21 2013-14 : 8	2012-13 : 9 2013-14 : 5

(स्रोत: निर्माणियों का उपलब्धि प्रतिवेदन)

अनुलग्नक- XIX (सी)

(पैराग्राफ 7.2.3.4 के संदर्भ में)

इनपुट सामग्री के परीक्षण में लगा समय

निर्माणी	परीक्षित प्रकरणों की संख्या	लिया गया समय (दिनों में) प्रकरणों की संख्या					विलंब के मामलों की कुल संख्या (प्रतिशत में)
		≤15	16-30	31-60	61-90	>91	
आर एफ आई	7342	3729	2619	841	109	44	3613(49)
एस ए एफ	9392	4222	3119	1504	393	154	5170(55)
जी एस एफ	3080	1841	665	367	101	106	1239 (40)
ओ एफ टी	15048	8887	3472	1816	530	343	6161(41)
एफ जी के	498	183	10	36	46	223	315(63)
जी सी एफ	5117	1856	1099	1145	582	435	3261(63)
योग	40477	20718	10984	5709	1761	1305	

(स्रोत: निर्माणियों का प्राप्ति वाउचर डेटाबेस)

अनुलग्नक-XX(ए)

(पैराग्राफ 7.2.3.6 के संदर्भ में)

श्रम दक्षता एवं उत्पादन उपलब्धि







2013-14 में निष्पादन	आर एफ आई	एस ए एफ	ओ एफ टी	जी एस एफ	एफ जी के	जी सी एफ
महीनों की संख्या जब श्रम दक्षता 150 प्रतिशत से अधिक थी	8	11	6	2	4	0
मार्च तक लक्ष्य की प्राप्ति	प्रतिदर्श मर्दों की प्रतिशतता					
लक्ष्य का 100 प्रतिशत	25	0	40	33	40	0
लक्ष्य का 99-60 प्रतिशत	50	80	20	33	0	50
लक्ष्य के 60 प्रतिशत से कम	25	20	40	33	60	50
उत्पादन लागत (करोड़ रु. में)	340	197	167	479	204	501
प्रत्यक्ष श्रम की संख्या	1863	877	710	1723	576	1488






(स्रोत: ओ एफ बी द्वारा प्रस्तुत छह शस्त्र निर्माता निर्माणियों में उपलब्ध/प्रयुक्त मानक श्रम घंटे (एस एम एच) एवं ओ एफ संगठन का वार्षिक लेखे खंड-1)

अनुलग्नक- XX(बी)

(पैराग्राफ 7.2.3.6 के संदर्भ में)

उत्पादन/निर्गम का मूल्य तथा एस एम एच का उपयोग





(स्रोत: उत्पादन/निर्गम का मूल्य तथा छह शस्त्र निर्माता निर्माणियों में उपलब्ध/प्रयुक्त एस एम एच, जैसा कि ओ एफ बी द्वारा सूचित किया गया, वार्षिक लेखे खंड-I)

अनुलग्नक-XXI

(पैराग्राफ 7.2.4.3 के संदर्भ में)

मामला अध्ययन 1: बोर्ड में उत्पादित 5.56 मि.मी.राइफलों की गुणवत्ता

2011-14 के दौरान 5.56 मि.मी.राइफल- फिक्स्ड बट क्रमशः राइफल निर्माणी ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर एवं आयुध निर्माणी त्रिची में उत्पादन के लिए 47, 28 तथा 30 प्रतिशत लेखे।

2011-14 के दौरान ₹87 करोड़ मूल्य के राइफलों के 6-16 प्रतिशत के लिए एस.क्यू.ए.ई ने आर.एफ.आर पंजीकृत किया। उसी अवधि के दौरान एस.क्यू.ए.ई द्वारा ₹65 करोड़ की कीमत के राइफलों को अस्वीकार किया

गया जो कि एस.ए.एफ में एस.क्यू.ए.ई द्वारा अस्वीकृति के 24 प्रतिशत का उच्चतम अवसर था।

निर्माणी	अस्वीकृति			
	आर.एफ.आर		अस्वीकृति	
	अवसर (% में)	मूल्य (क.)	अवसर (% में)	मूल्य (क.)
आर.एफ.आई	6 ¹⁸⁵	35	1	4.83
एस.ए.एफ	11	22	24	57
ओ.एफ.टी	16	30	1	2.8
कुल		87		64.63

आर.एफ.आर एवं अस्वीकृति का कारण हैमर¹⁸⁶ (ट्रिगर से जुड़ा हुआ) तथा ब्रीच ब्लाक¹⁸⁷; नली (अधिक चढ़ाव) के हिलाते हुये भागों का रुकाव; गोलाबारी के पश्चात कारतूस केस का खराब (प्रक्षेपपथ का) निष्कासन¹⁸⁸; नली के छेद में त्रुटि (नली का आंतरिक कक्ष) तथा अनियमित गोलाबारी या गोलाबारी की निम्न गति; पिस्टन आयतन, ब्रीच ब्लाक, ट्रिगर गार्ड जैसे विभिन्न भागों को क्षति जैसे अव्यवों के अधिकता को ठहराया गया।

एस.क्यू.ए.ई ने गुणवत्ता संशोधन नोट में यह उल्लेख किया कि नली के नाप में विचलन (राइफल निर्माणी ईशापुर में; 2011-12) तथा 2011-12 एस.ए.एफ में फ्लैश अवशोषक (शत्रु द्वारा परिचयन को बचाने के लिए की गई गोलाबारी के दौरान अवशोषित किया गया "फ्लैश") के सामग्री संरचना में त्रुटियां हैं। परंतु त्रुटियों के पुनरावृत्ति को देखा गया। 2013-14 में एस.क्यू.ए.ई ने राइफल निर्माणी ईशापुर द्वारा संशोधित किए गए ब्रीच ब्लाक पर प्रश्न उठाया।

¹⁸⁵ इसके अतिरिक्त ₹1.4 करोड़ के मूल्य के 4 प्रतिशत मर्दों को संशोधन के पश्चात पुनः निर्गम किया गया जिन्हें फिर से आर.एफ.आर के लिए वापस कर दिया गया था

¹⁸⁶ जब ट्रिगर को खींचा जाता है तब गोलाबारी को करने के लिए एक झटका (प्रभाव) देने के लिए हैमर को हिलाया जाता है

¹⁸⁷ ट्रिगर को दबाते ही गोली के तीन क्रम नली की ओर बढ़ते हैं एवं इस समय ब्रीच को बंद हो जाना चाहिए। अगर वह बंद ना हुआ तो शस्त्र खराब हो सकता है

¹⁸⁸ खाली कारतूस केस के निष्कासन में विचलन से सैनिक को हानि पहुंचा सकता है

इसके साथ ही मांगकर्ताओं (थलसेना, वायुसेना एवं पैरा सैनिक बलों) ने राइफल निर्माणी ईशापुर को 2011-14 के दौरान ₹1.3 करोड़ मूल्य के 456 राइफलों को वापस कर दिया, जिनमें से 323 राइफलों को आर्थिक पैमाने पर ठीक करने से परे पाया गया। नली के छेद में विकसित उभार (जो कि शस्त्र को हानि पहुंचा सकता है) तथा अव्यव टूटे या फटे हुये जैसी शिकायतें थीं। निर्माणी ने इन त्रुटियों का परिशोधन किया तथा मांगकर्ताओं को पुनः राइफलों को निर्गम किया। इसी प्रकार से लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर को 2011-14 में सी.आर.पी.एफ़ द्वारा ₹23 लाख की कीमत के 70 राइफलों को वापस कर दिया गया क्योंकि नली के आयतन को टूटा हुआ पाया गया।

बोर्ड के उत्पादन प्रालेख में मुख्य मद्दों में से एक मद, सेना के मद मांग के बावजूद भी इस मद की निरंतरता को बनाए रखते हुये से संबंधित विभिन्न 'जांच बिन्दुओं' पर उठाए गए गुणवत्ता से जुड़े प्रश्नों को बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-XXII

(पैराग्राफ 7.2.4.3 के संदर्भ में)

आर.एफ.आर एवं अस्वीकृति का मदवार अवसर

मद	प्रकृति	परिमाण		कारण
		अवसर (प्रतिशत में)	मूल्य (₹करोड़ में)	
राइफल निर्माणी, ईशापुर				
9 मि.मी. पिस्तौल	आर.एफ.आर	13	14	खाली कारतूस केस का खराब निष्कासन; ब्रीच का बंद ना होना; स्लाइड ¹⁸⁹ का कस जाना; कोई प्रबंध ना होना (मैगजीन से गोली का)
	अस्वीकृति	3	3	
लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर				
5.56 मि.मी. एल.एम.जी	आर.एफ.आर	14	11	खाली कारतूस केस का खराब निष्कासन, अनियमित गोलाबारी, ब्रीच का असम्यककार्यता आदि।
	अस्वीकृति	22	28	अव्यवस्था में क्रियात्मक त्रुटि (जैसे ब्रीच ब्लाक, पिस्टन निष्कासन, ब्रेकेट, ट्रिगर, नली का निष्कासन), प्लग गौज तथा कारतूस हेड स्पेसिंग में गौज का अतिक्रमण, नली के छेद में त्रुटि आदि।
7.62 मि.मी. मशीन गन	आर.एफ.आर	52	75	कारतूस केस का खराब निष्कासन, गोलाबारी की धीमी गति, अनियमित गोलाबारी आदि।
	अस्वीकृति	53	43	निष्कासक, ट्रिगर, बैक-साइट, नितंब का हैंडल, पिस्टन निष्कासन में दरार आदि जैसे विभिन्न अव्यवस्था में क्रियात्मक त्रुटि
9 मि.मी. कारबाइन	आर.एफ.आर	16	5	ट्रिगर केस, नली का कक्ष तथा अनियमित गोलाबारी आदि जैसे अव्यवस्था में त्रुटि
	अस्वीकृति	19	6	ट्रिगर जमावड़ा, लीवर लाक, बंदूक के सिरे के आधार निष्कासक, ब्रीच ब्लाक तथा नली के बोर्ड में कटने का निशान/दाग आदि में क्रियात्मक त्रुटि
आयुध निर्माणी, त्रिची				
40 मि.मी. यू.बी.जी.एल	आर.एफ.आर	8	4	नली में दरार/हानि, बाडी हाउसिंग, अनियमित गोलाबारी, सुरक्षा लाभ, सीयर, रिकायेल युनिट, ब्रीच, नली के छेद में विमितीय अतिक्रमण तथा कारतूस हेड स्पेसिंग, खराब सूक्ष्मता आदि जैसे अव्यवस्था का असम्यककार्यता

¹⁸⁹ एक पिस्तौल में स्लाइड की गति से तीन काम पूरे होते हैं: खाली कारतूस केस का निष्कासन, अगले दाव के लिए मारने वाले या हैमर को उठाकर तैयार करना एवं जब स्लाइड सामने आता है तब कक्ष में दूसरे कारतूस को डालना

मद	प्रकृति	परिमाण		कारण
		अवसर (प्रतिशत में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	
30 मि.मी. कैन्नन	आर.एफ.आर	34	21	गैस सिलिंडरों में धुंधले क्रोमियम का आवरण, नली, नली जमावड़े का असम्यककार्यता, पिस्टन, भक्षण, सुरक्षा लीवर, लाइन/पिट/नली के कैच में टूल के निशान, आतिशबाज़ी धारक एवं ब्रीच
12.7 मि.मी. ए.डी गन	आर.एफ.आर	100	16	पिन गोलाबारी, सुरक्षा लाक, पिस्टन, ब्रेकेट बैक साइड एवं लाक नली में खराब रंग/पालिश, पिस्टन, कड़ी को मिटाने वाला, सीयर आदि जैसे अवयवों में त्रुटि/असम्यककार्यता तथा निष्कासक, रेग्युलेटर गैस, प्लंजर पिन, ट्रे फीड जमावड़े में विमितीय अतिक्रमण
गन शेल निर्माणी, काशीपुर				
84 मि.मी. आर.एल-मार्क- III	आर.एफ.आर 2011-12			नली के उप- जमावड़े में उभार, नली में "लकीरों के प्रारम्भ" पर विशिष्टताओं से अतिक्रमण
		19	2	
		2012-13	58	
	2013-14	66	21	
गन कैरेज निर्माणी, जबलपुर				
105 मि.मी. एल.एफ.जी	आर.एफ.आर	26	67	नली में गोलाबारूद की प्रतिबंधित गति, ब्रीच ब्लाक की अनुचित क्रियात्मकता
स्पेयर बैरल टी-72	आर.एफ.आर	9	20	नली के छेद में त्रुटि
स्पेयर बैरल टी-90	आर.एफ.आर	63	21	नली के छेद में त्रुटि
81 मि.मी. मोर्टर	आर.एफ.आर	2	2	नली के छेद में त्रुटि
कुल: आर.एफ.आर (5.56 मि.मी. राइफल को शामिल करते हुये)			390	
कुल: अस्वीकृति (5.56 मि.मी. राइफल को शामिल करते हुये)			145	
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर				
निर्माणी एवं क्यू.ए.ई (एफ.जी) द्वारा अंतिम उत्पाद के लिए आर.एफ.आर/ अस्वीकृति पर कोई डाटा नहीं दिया गया। विभिन्न अवयवों में विमितीय अतिक्रमण; गुणवत्ता निरीक्षण नोट में ब्रीच में (जहां से गोला-बारूद को लादा जाता है) टी-72 तथा टी-90 नली में छेद में अंतर के साथ पर ध्यान दिया गया। परंतु एक ही जैसे त्रुटियों के पुनरावृत्ति ने यह दर्शाया कि सुधारात्मक कार्रवाई अपर्याप्त थे।				

(स्रोत: आर.एफ.आर तथा अस्वीकृति को दर्शाते हुये एस.क्यू.ए.ई पत्र)


अनुलग्नक - XXIII

(पैराग्राफ 7.2.5.2 में संदर्भित)

मुनाफे में प्रचलन का निर्माणी-वार विश्लेषण

लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर

2011-14 के दौरान अपने उत्पाद प्रालेख में छः मुख्य मद स्थिर रहे। 5.56 मि.मी. राइफल, 5.56 मि.मी. लाइट मशीन गन (एल.एम.जी), 9 मि.मी. कारबाइन एवं 7.62 मि.मी. मीडियम मशीन गन (एम.ए.जी) एक साथ सेना तथा एम.एच.ए को मर्दों के उत्पादन के 53 प्रतिशत निर्गम किया है। विभिन्न श्रेणी के रिवाल्वर सिविल व्यवसाय में निर्गमित हुई निर्माणी के प्रालेख का एक आवश्यक भाग है।



हमने यह देखा कि 2012-13 में 5.56 मि.मी. राइफल के अलावा सभी मुख्य उत्पादों में सामग्री लागत श्रम लागत से अधिक हो गया। यहाँ तक की 7.62 मि.मी. एम.ए.जी का श्रम लागत सामग्री लागत का 400 प्रतिशत था। ऊपरी व्यय भी अधिक था, विशिष्ट रूप से निर्धारित ऊपरी व्यय जो कि छः मुख्य उत्पादों के लिए 51 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत के बीच के स्तरों का था। उत्पादन लागत के संबंध में 7.62 मि.मी. एम.ए.जी ने 60 प्रतिशत उपरीव्यय को पंजीकृत किया। निर्माणी ने मूल्य निर्धारण में रुढ़िवाद द्वारा संयोजन के उपरीव्यय उच्च श्रम तथा उपरीव्यय के लागत के कारण हानि का सामना किया। जैसा की देखा गया कि 29 से 56 प्रतिशत तक निर्गम मूल्यों से अधिक बढ़ते हुये वास्तविक लागत के बावजूद भी 16 से 31 प्रतिशत तक अनुमानित लागत से कम 7.62 मि.मी. एम.ए.जी का निर्गम मूल्य हमेशा से निर्धारित था।

निर्माणी ने अपने मुख्य उत्पादों में एक नियमित गिरावट को चिन्हित किया। 2011-14 के दौरान 9 मि.मी. कारबाइन को 62 प्रतिशत से तथा 5.56 मि.मी. राइफल 75 प्रतिशत तक हास होकर निर्गम किया गया। 7.62 एम.ए.जी एवं 9 मि.मी. कारबाइन में उच्च उत्पादन लागत ने उनके उत्पादन को अलाभकर बना दिया। 2013-14 में प्रत्येक बंदूक पर ₹43,605 से ₹25,712 के अनुक्रम में लाभ ने निर्माणी को चलायमान रखा। सिविल व्यवसाय में रिवाल्वर पर प्राप्त अधिक लाभ के बावजूद भी उनके अनुमानित/ वास्तविक लागत की तुलना में बोर्ड द्वारा 7.62 मि.मी. एम.ए.जी एवं 9 मि.मी. कारबाइन के लागत में (श्रम तथा उपरीव्यय) 30 प्रतिशत बढ़ोतरी परंतु कम निर्गम मूल्य को निर्धारित करने के कारण मुख्य रूप से 2013-14 में निर्माणी को ₹13 करोड़ की हानि का सामना करना पड़ा।

राइफल निर्माणी ईशापुर

निर्माणी के मुख्य उत्पादों (आई.एन.एस.ए.एस राइफल तथा 9 मि.मी.पिस्तौल) के लिए जब सेना की मांग मूलतः नीचे आ गई, सिविल व्यवसाय के लिए उनके उत्पादों की बढ़ोतरी हुई। एम.एच.ए को मूलतः 5.56 मि.मी.राइफल- मुड़ा हुआ बट्ट एवं 5.56 मि.मी. फिक्स बट्ट को निर्गम करने के मात्रा में 39 प्रतिशत हास तथा 81 प्रतिशत हास के कारण 2013-14 में लाभ में गिरावट आ गई। 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए अधिक मांग होने के बावजूद भी 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 35 प्रतिशत से एम.एच.ए को समय में भुगतान की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण निर्माणी को निर्गम हुये चीजों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 0.315” राइफल के बिक्री में मुनाफे तथा निरंतर मांग के कारण सीमांत रूप से अन्य उत्पादों के मुनाफे पर तथा मांग में समायोजन घटता गया।

फील्ड गन निर्माणी कानपुर

गन कैरेज निर्माणी जबलपुर में उच्च क्षमता वाले बंदूकों में जमा किए गए आवरण तथा आयुध, बैरल,अपने उत्पादों के साथ निर्माणी मूल रूप से एक आई.एफ.डी निर्माणी है। 2011-12 में 19 एवं 2012-13 तथा 2013-14 में मुख्यतः 22 नौ मुख्य उत्पादों में से निर्माणी के उत्पाद प्रालेख का आवश्यक परिवर्तन हुआ। उत्पाद प्रालेख में परिवर्तन निर्माणी में घटित निरंतर परिवर्तन के चित्र को उजागर करता है। एम.बी.टी अर्जुन के लिए 120 मि.मी. बंदूक के लिए निर्माणी द्वारा नलियों का उत्पादन किया गया परंतु 124 एम.बी.टी से अधिक मांग बोर्ड द्वारा प्राप्त ना किया जाने के कारण 2009-10 से उत्पादन में गतिरोध आ गया। दूसरी तरफ एक नए मद् का उत्पादन 2012-13 में प्रारम्भ हुआ तथा मुख्यतः 2013-14 में बढ़ गया, वह भारतीय नौसेना के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशियन एंटी- सबमरीन राकेट गाइडेड बम 60 (आर.जी.बी 60) के स्वदेशी प्रारूप के लिए नलियां थीं। जबकि उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी ने मुख्य मद्दों पर विभाजित निर्धारित उपरिव्यय में कोई हास नहीं हुआ।

निर्गम मूल्य में साधारण बढ़ोतरी के बावजूद भी निर्माणी ने 2011-14 से लाभ पर 66 प्रतिशत बढ़ोतरी को देखा। 2013-14 में सिविल व्यापार में 0.32” रिवाल्वर की बिक्री के कारण 40 प्रतिशत का लाभ हुआ।

आयुध निर्माणी त्रिची

2012-13 में 33 प्रतिशत से लाभ में बढ़ोतरी के पश्चात 2013-14 में 27 प्रतिशत से लाभ में गिरावट आ गई। आई.एफ.डी मद्दों के अलावा (इन्फैन्ट्री कंबाइट व्हीकल बी.एम.पी- II एवं 12.7 मि.मी.एयर डिफेंस गन के लिए 30 मि.मी. कैनन) उसके मुख्य उत्पाद आई.एन.एस.ए.एस राइफल, 40 मि.मी. अंडर बैरल ग्रेनेड लॉंचर तथा

स्पोर्टिंग राइफल है। उत्पादन का मदवार लागत, निर्गम मूल्य एवं लाभ/हानि को नीचे दर्शाया गया है।

मर्दे	आई.एन.एस.ए.एस राइफलें (सेना)	आई.एन.एस.ए.एस राइफलें (एम.एच.ए)	40 मि.मी. यू.बी.जी.एल	0.315” स्पोर्टिंग राइफल	30 मि.मी. कैनन
2011-12					
उत्पादन लागत	29757	29757	29473	35019	2932107
निर्गम मूल्य	28710	30800	51710	43200	2726947
लाभ/हानि	(-)1047	1043	22237	8181	(-)205160
2012-13					
उत्पादन लागत	32600	32600	51745	13754	2529893
निर्गम मूल्य	31007	33264	55400	43200	2972815
लाभ/हानि	(-)1593	664	3655	29446	442922
2013-14					
उत्पादन लागत	कोई उत्पादन नहीं	34482	55557	11776	3765225
निर्गम मूल्य		35925	59832	47700	3207355
लाभ/हानि		1443	4275	35924	(-)557870

सेना को आई.एन.एस.ए.एस राइफलों को घाटे में निर्गम किया गया परंतु आवश्यक लाभकर सीमा के साथ उसका थोक में उत्पादन कर एम.एच.ए को निर्गम किया गया था। 2011-12 में यू.बी.जी.एल का मूल्य लागत से 75 प्रतिशत अधिक था। प्रत्येक वर्ष 7.9 प्रतिशत औसत से निर्गम मूल्य के बढ़ने पर तथा 2011-14 के समय 89 प्रतिशत से उत्पादन लागत के बढ़ने पर भी मुख्य रूप से शुरुआती अधिक निर्गम मूल्य के कारण इस मद पर निर्माणी निरंतर लाभ पाती रही। 2011-14 के समय में सामग्री (79%) तथा श्रम (66%) में मुख्य रूप से उत्पादन लागत में 66 प्रतिशत हास एवं निर्गम मूल्य में अत्यल्प बढ़ोतरी के कारण अन्य लाभप्रद मद 0.315” स्पोर्टिंग राइफल था। 2013-14 में 30 मि.मी. कैनन पर हुआ भारी नुकसान-मुनाफे में 27 प्रतिशत गिरावट का सबसे बड़ा सहयोगी था। 2012-13 से 2013-14 में निर्गम मूल्यों में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद भी श्रम में 49 प्रतिशत बढ़ोतरी तथा उपरिव्यय में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण मुख्य रूप से उत्पादन लागत में 49 प्रतिशत बढ़ोतरी के हानि के लिए मुख्य कारक था।

गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर

निर्माणी ने निर्माणियों के हथियार समूह में सबसे अधिक लाभ होने की बात की। 0.32” पिस्तौल के बिक्री में वास्तविक लाभ ने निर्माणी को सीमित रखा: 2011-14 के समय में लागत में आठ प्रतिशत के अतिरिक्त हास से अनुगमित 2011-12 में उत्पादन लागत से अधिक 125 प्रतिशत के निर्गम मूल्य के निर्धारण के कारण मुख्य

रूप से 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में ₹41 करोड़, ₹43 करोड़ एवं ₹57 करोड़ का लाभ हुआ। भारत सरकार के समायोजन¹⁹⁰ नीति के अंतर्गत 2011-12 में अन्य उत्पाद: ए.के. 630 गन का निर्यात हुआ। 2011-12 में समायोजन निर्यातों के विपरीत ₹19 करोड़ के उपार्जन- लाभ का मुख्य कारण 2012-13 में ₹76 करोड़ (2011-12) से ₹56 करोड़ तक मुनाफे में हास हुआ। मुख्यतः 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान 33 एवं 27 प्रतिशत से अनुमानित लागत से अधिक निर्गम मूल्य को प्रतिष्ठापित करने के कारण सेना को 84 मि.मी.आर.एल (एम.के-III) को निर्गम करने में निर्माणी को प्रतिवर्ष संतोषजनक लाभ प्राप्त हुआ। जबकि उत्पादन के वास्तविक एवं अनुमानित लागत में 11 तथा 21 प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद भी निर्गम मूल्य में कोई भी परिवर्तन ना होने के कारण 2013-14 के दौरान नौ सेना को ए.के. 630 बंदूक की बिक्री करने में निर्माणी को हानि हुई। सहयोगी निर्माणियों को निर्गम मर्दों के लिए भी निर्माणी को हानियों का सामना करना पडा। अतः 2013-14 में समस्त लाभ सीमांत रूप से गिरते हुए 10 प्रतिशत से ₹47 करोड़ हो गया

गन कैरेज निर्माणी जबलपुर

निर्माणी ने 2013-14 में ₹35 करोड़ (2011-12) से ₹15 करोड़ तक के लाभ के गिरते हुए प्रवृत्ति को दर्शाया। 2011-14 के दौरान मुख्य मर्दों की संख्या प्रायः एक जैसी ही रही। निर्माणी के मुख्य उत्पाद संशोधित राकेट लांचर कवच¹⁹¹ (नया) , 105 मि.मी.लाईट फिल्ड गन, टी-90 एवं टी-72 टैंकों के लिए स्पेयर नलियां, टी-90 टैंक का बन्दूक जमावडा, 81 मि.मी. मोर्टार तथा 12.7 मि.मी.प्रहरी (नौ सेना) हैं।

2011-14 के दौरान स्पेयर नली टी.-90 के उत्पादन का हास 52 प्रतिशत से हुआ; 13 प्रतिशत से उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के साथ उत्पादन में गिरावट आने के कारण टी-90 नलियों को निर्गम करने में हानि हुई। 2012-13 में 19 प्रतिशत से 105 मि.मी. एल.एफ. बन्दूकों के उत्पादन में गिरावट आई। 2013-14 में मुख्यतः 105 मि.मी.बन्दूक, स्पेयर नली टी-90 तथा स्पेयर नली टी-72 के संबंध में 19 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत से उत्पाद की दिशा की ओर से उत्पादन लागत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। 70 प्रतिशत से 105 मि.मी.एल.एफ. बन्दूक में उत्पादन के वास्तविक हास के कारण इस मद के हानि को रोका जा सका।

¹⁹⁰ समायोजन के अंतर्गत व्यापार के लिए बदले में खरीददार से एक विदेशी विक्रेता को कुछ मर्दों की खरीददारी करना आवश्यक है

¹⁹¹ कवच एक नौसैनिक डिकायर प्रणाली है जो रडार निर्देशित मिसाइलों को उनके लक्ष्य से विचलित करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा एक स्वरक्षा के उपाय के रूप में कार्य करता है। यह उत्पाद रूस के एंटी सबमरीन वारफेयर राकेट (ए.एस.डबल्यू) का देशज रूप है। कवच डिकाएट प्रणाली सिल्वर आवरण ग्लास फाइबर मिश्रित धुंध पैदा करता है। यह हवा में अदृश्यता की स्थिति पैदा करता है जिससे की जो निर्देशित मिसाइलें हैं वे अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं तथा वास्तविक लक्ष्य के स्थान पर धुंध में लाक हो जाती हैं। ये चाफ रॉकेट तीन प्रकार के आयामों के होते हैं: माध्यम से दीर्घ आयाम।

अनुलग्नक-XXIV

(पैराग्राफ 7.2.6.2 के संदर्भ में)

नये उत्पादों के विकास की कार्यान्वयन स्थिति

मदें (उत्पादन की अनुमानित शुरुआत)	कार्यान्वयन स्थिति
(क) लघु शस्त्र	
5.56 मि.मी.राईफल (मुड़ा हुआ नितम्ब) (2008-09)	सेना के 20,000 राईफलों के मांग पत्र (2006) के विपरीत बोर्ड ने उत्पादन की सुपूर्दगी जून 2012 में की। सेना ने अक्टूबर 2012 में थोक उत्पादन निकासी दी। उत्पादन में विलम्ब को कारण बताते हुए सेना ने अप्रैल 2011 में मांग पत्रों को 8454 तक सीमित कर दिया। 8454 राईफलों (2013-14) की सुपूर्दगी के पश्चात आर.एफ.आई. सेना से आगे के मांग पत्रों के लिए प्रतिक्षा कर रही थी।
5.56 मि.मी.कारबाइन (संयुक्त उपक्रम रक्षा) (2009-10)	मंत्रालय के मांग के अनुमोदन (2006) के विपरीत विश्वसनीयता तथा वजन के विशिष्टिकरण के शर्त को पूरा न कर पाने के कारण बोर्ड तथा डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित (अक्टूबर 2011) कारबाइन को प्रारंभिक परीक्षण (अक्टूबर 2012) में असंतोषजनक पाया गया। डिजाइन के परिशोधन के पश्चात परीक्षण के अगले चरण का मई 2015 तक पूरा होने का अनुमान था। विकास एवं परीक्षणों में विलंबों से संदर्श योजना में इंगित उत्पादन के महत्वपूर्ण पड़ाव विपथित हुए।
5.56 मि.मी.कारबाइन (क्लोस क्वार्टर बैटल) (2009-10)	उत्पादन प्रारूप के निश्चयात्मकता के पहले ही कारबाइनों के उत्पादन के लिए कोरवा में एक निर्माणी स्थापित करने के दोषपूर्ण निर्णय का उल्लेख भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-12 के पैराग्राफ 7.2 में किया गया था। सेना द्वारा वैश्विक क्रय के पश्चात बोर्ड को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी.ओ.टी) के साथ कारबाइन के उत्पादन की योजना बनाई गई थी। वैश्विक अधिकारों के समस्याओं एवं टी.ओ.टी के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण अप्रैल 2007 तथा अप्रैल 2008 के प्रस्तावों (आर.एफ.पी) के लिए सेना के अनुरोध को दो बार वापस (दिसंबर 2007/जून 2009) लेना पड़ा। तीसरे आर.एफ.पी के विपरीत प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया गया परंतु क्रय का सुनिश्चितिकरण अभी भी करना बाकी था चूंकि मार्च 2015 तक सामान्य स्टाफ मूल्यांकन में अभी तक कारबाइन का सुनिश्चितिकरण बाकी था। 2013-14 में केवल ₹2.59 करोड़ मूल्य के 12 बोर पंप एक्शन गन के उत्पादन के साथ कारबाइन के उत्पादन के लिए ₹237 करोड़ (मार्च 2015) के खर्च पर कोरवा (अमेठी) में स्थापित एक नई निर्माणी लगभग निष्क्रिय पड़ी रही।
12.7 मि.मी.प्रहरी (2007-08)	गन कैरेज निर्माणी जबलपुर में 2012-13 में प्रहरी बंदूक का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। निर्माणी ने नौसेना से औपचारिक मांगपत्र के देरी से प्राप्ति के कारण 2012-14 के दौरान 59 प्रतिशत के लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(ख) मध्यम क्षमता शस्त्र	
30 मि.मी.आटोमैटिक ग्रेनेड लांचिंग सिस्टम (2010-11)	आयुध निर्माणी त्रिची ने 2008 में विपरीत इंजीनियरिंग के द्वारा मद के विकास का उत्तरदायित्व लिया। प्रदर्शन परीक्षण के दौरान (दिसंबर 2008), निरंतर गोलाबारी के पश्चात नियमित प्रतिरोध को देखा गया। अप्रैल 2010 के दौरान पाँच नमूनों को परीक्षण के लिए चलाया गया। विशिष्टिकरणों को सुनिश्चित करने के पश्चात (सितंबर 2013) जून 2014 में तीन बंदूकों के नए उत्पादन की शुरुआत हुई जिनके मई 2015 में अंतर्वर्तीय परीक्षण के लिए गोलाबारी करने की योजना बनाई गई तथा जिन्हें जुलाई 2015 में डी.जी.क्यू.ए को सहनशक्ति के परीक्षण का वर्णन करना था। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि (मई 2015) पूर्व- आयात गोलाबारूद अभ्यास के अनुपलब्धता के कारण विकसित शस्त्रों को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
40 मि.मी. यू.बी.जी.एल (2009-10)	2011-14 के दौरान सेना ने चरणानुसार निर्गम करने के लिए 11,719 के लिए आयुध निर्माणी त्रिची पर एक मांगपत्र प्रस्तुत (जून 2009) किया। 2011-12 में 64 प्रतिशत से 2013-14 में 97 प्रतिशत तक लक्ष्यों के विपरीत कार्य सम्पादन के साथ उत्पादन ने तेजी पकड़ी। यू.बी.जी.एल के देशज उत्पादन के लिए एम.ए.ओ (माइक्रो आर्क आक्सीडेशन) आवरण के प्रक्रिया को स्थिर नहीं किया जा सका। अतः एक कर्मी दल ने कठोर एनोडाइस्ड (एच.ए) के आवरण की संस्तुति (फरवरी 2012) की। तदनुसार 2013-14 तक ओ.एफ़ त्रिची एच.ए आवरण के साथ यू.बी.जी.एल का उत्पादन करती रही। बोर्ड ने यह उल्लेख (मई 2015) किया कि एम.ए.ओ आवरण की आवश्यकता अब तक परिकल्पित नहीं की गई थी चूंकि कठोर एनोडाइज़ के साथ आवरित नलियों ने अपेक्षित आयु को प्राप्त नहीं किया था।
एंटी- मटेरियल राइफल (2009-10)	शत्रु के टैंकों, तेल के अधिष्ठापनों, बंकरों आदि के विनाश के लिए बनाए गए राइफल का विकास (2005) आयुध निर्माणी त्रिची में हुआ। 2008-09 में एम.एच.ए द्वारा 100 राइफलों के आदेशों की पूर्ति हुई। इसके अतिरिक्त एम.एच.ए या सेना द्वारा किसी मांगपत्र को प्राप्त नहीं किया गया। सेना ने यह निर्णय लिया कि किसी भी राइफल को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा चूंकि इन्होंने वजन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था।
ए.के-630 बंदूक (2007-08)	गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने एक रूसी फर्म से टी.ओ.टी पर आधारित 2009-10 से देशज उत्पादन की शुरुआत की। 2013-14 तक नली को शामिल करते हुये महत्वपूर्ण मर्दों के लिए आयात होता रहा। बोर्ड ने यह उल्लेख (मई 2015) किया कि बी.ई.एल एवं ओ.एफ़ मेडक के साथ गन एंड शेल निर्माणी ने बंदूक के जमावड़े के 90 प्रतिशत का देशीकरण किया। स्वदेशीकरण में असामान्य विलंब तथा टी.ओ.टी संविदा में त्रुटि के कारण उत्पादन समर्थन का निरंतर आयात होता रहा। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।
(ग) उच्च क्षमता शस्त्र	
84 मि.मी. राकेट लांचर (2007-08)	एक स्वीडिश फर्म से टी.ओ.टी पर आधारित 2007-08 से (75 प्रतिशत आयातित उत्पादन समर्थन सहित देशज उत्पादन की शुरुआत गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने की। 2013-14 तक नली, दृश्य उपकरण प्रणाली को शामिल करते हुये महत्वपूर्ण मर्दों के लिए आयात होता रहा। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि (मई 2015) 2016 तक देशज नली का विकास अनुमानित था। सूक्ष्मदर्शी दृश्य उपकरणों के 50 प्रतिशत अव्यव तथा शास्त्रों के अव्यवों के 70 प्रतिशत के प्रारूप के स्थानान्तरण ना होने के कारण विलंबित स्वदेशीकरण से लक्ष्य के अनुसार देशज उत्पादन में हानि हुई। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।

<p>130 मि.मी.का 155 मि.मी.तक अप-गनिंग (2010-11)</p>	<p>इसाइल फर्म एस.ओ.एल.टी.ए.एम पर प्रतिबंध के कारण अभी तक आंशिक रूप से परियोजना सफल नहीं रही है। 2010-11 में परीक्षण के आधार पर गन कैरेज निर्माणी जबलपुर ने दो बंदूकों का उत्पादन किया परंतु दिसंबर 2014 तक सेना ने किसी भी प्रकार का मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया। बोर्ड ने यह सूचित (मई 2015) किया कि अक्टूबर 2015 से 130/155 अप- गनिंग के प्रयोगकर्ता के परीक्षण को अनुमानित किया जा सकता है। विलंबित विकास तथा परीक्षण ने सेवाओं में बंदूक के अधिष्ठापन पर प्रभाव डाला।</p>
<p>155 गन अपग्रेडेशन (2010-11)</p>	<p>फरवरी 2012 में विकसित उन्नत 155मि.मी.(45 कैलिबर) बंदूक तथा 2012-15 के दौरान विभिन्न प्रदर्शन एवं प्रयोगकर्ता के परीक्षण के लिए बनाए गए 'धानुष' ने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादन किया। सेना द्वारा 114 बंदूकों के मांगपत्र को देने के बावजूद भी वह पुष्टि करने वाले परीक्षण के अंतर्गत था एवं थोक उत्पादन की निकासी की प्रतीक्षा की जा रही थी (मई 2015)। विकास एवं परीक्षण में चार वर्षों के विलंब के कारण परिकल्पित घटनाक्रम को हानि हुई।</p>
<p>टी-90 टैंक के लिए 125 मि.मी. बंदूक (2008-09)</p>	<p>टी-90 टैंक के लिए टी.ओ.टी में बंदूक नली के सामग्री विशिष्टिकरण को वास्तविक उत्पादककर्ताओं, रूसी फर्म ने उसका आदान-प्रदान नहीं किया जो कि स्वदेशीकरण में मुख्य अवरोध था। मंत्रालय के द्वारा विकल्पों पर निर्णय लेने में विलंब हुआ जिसके कारण एक साथ 175 बंदूकों का आयात तथा आयतित नलियों के साथ (2007-13) 125 बंदूकों का उत्पादन हुआ। टी-90 के लिए स्पेयर नलियों के उत्पादन में त्रुटि हुई जिससे 2012-14 में 55-60 प्रतिशत की कार्यसिद्धि हुई। 2014 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं 35 के पैराग्राफ 8.3.3 में इस योजना को समाप्त करने के लिए पहले से ही टिप्पणी की जा चुकी है। अनुलग्नक- XXV में इसकी विस्तृत सूचना पर चर्चा की गई है।</p>

अनुलग्नक-XXV

(पैराग्राफ 7.2.6.3 और अनुलग्नक XXIV के संदर्भ में)

ए के 630 गन, 84 मि.मी. आर एल मार्क-III और टी-90 टैंक के संबंध में टी ओ टी का मामला अध्ययन

(क) ए के 630 गन का विकास

कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल ध्वंसकों (भारतीय नौसेना के लिए मझगाँव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित) जैसे पोतों पर स्थापित ए के 630 गनों को वायुयान भेदी तथा मिसाइल भेदी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें 30 मि.मी. अभ्यंतर व्यास के छह सकेन्द्री बैरलों का समूह होता है तथा उसकी प्रति मिनट 4000 से 5000 राउंड्स की फायरिंग गति तथा 4 से 5 कि.मी. का परास होता है।

मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, मॉस्को (मेसर्स आर ओ ई) से टी ओ टी के माध्यम से गन के स्वेदशी उत्पादन के लिए मंत्रालय के निर्णय के आधार पर बोर्ड ने ₹97 करोड़ की कुल लागत पर 16 गनों¹⁹² के आयात सहित टी ओ टी अनुबंध किया (मई 2004)। लाइसेंस की वैधता 20 वर्षों के अंदर 100 गनों के लिए थी।

डिजाइन प्रलेख मई 2006 को प्राप्त हुए थे; उन प्रलेखों के भाषांतर में दो वर्ष निकल गए। टी ओ टी पर किया गया अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें 148 पुर्जों तथा गन की उप-असंब्लियों के प्रूफ परीक्षण के लिए उपस्करों सहित गनों की 17 यूनितें शामिल नहीं थीं, जिससे ₹2 करोड़ के उपस्करों का अतिरिक्त आयात आवश्यक हो गया।

गन में 40 प्रमुख उप-असंब्लियां थीं, जिनमें दो निर्माणियां और एक रक्षा पी एस यू सम्मिलित थीं, जो थीं:

- 24 उप-असंब्लियों तथा पूर्ण रूप से बने गन की असेंबल के विनिर्माण तथा नौसेना को उसके निर्गम के लिए गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर;
- तीन उप-असंब्लियां अर्थात् क्रेडल, कैरिज तथा रेस रिंग के विनिर्माण हेतु आयुध निर्माणी मेडक; और
- इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत-द्रवचालित/वायवीय इकाईयों से संबंधित 13 उप-असंब्लियों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)।

प्रारंभिक योजना 2007-08 तक स्वेदशी उत्पादन शुरू करने की थी। निर्माणी ने बी ई एल के प्रक्षेत्र में आने वाली असेंबलियों सहित 31 असेंबलियों के मामले में 75 प्रतिशत

¹⁹² 6 पूर्णतः तैयार (एफ एफ) गन, 4 एस के डी गन, 3 ग्रुप एस पी टी ए सेट और अमानक (विशेष) उपस्कर

स्वदेशीकरण का दावा किया। तथापि, बैरल सहित अतिमहत्वपूर्ण मर्दों के लिए आयात जारी रहा। कुल मिलाकर, 19 गनों के उत्पादन के लिए 2011-14 के दौरान ₹155 करोड़ के विभिन्न संघटकों का आयात किया गया।

बोर्ड ने बताया (मई 2015) कि गन एंड शेल निर्माणी तथा बी ई एल और आ.नि. मेडक ने गन की 90 प्रतिशत असंबलियों का स्वदेशीकरण किया।

(ख) 84 मि.मी. रॉकेट लांचर मार्क III का विकास

84 मि.मी. रॉकेट लांचर एक बिना रीकॉयल वाला गन है, जो मूलतः टैंक भेदी शस्त्र है, किंतु वह कवचित सैनिक वाहनों, मशीन गन चौकियों और खुले मैदान में सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए भी उपयुक्त है। रॉकेट लांचर को सिपाही के कंधों से फायर किया जाता है; मार्क III रूपांतर उसके पुराने रूपांतर से अधिक सघन (गन 60 मि.मी. छोटा था) और हल्का था: मार्क II रूपांतर के 15 कि.ग्रा. की तुलना में 9 कि.ग्रा. था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं उन्नत दूरबीनी दर्शा और बैरल में हल्की सामग्रियों का प्रयोग हैं: इपॉक्सी एवं कार्बन फाइबर की परत के साथ एक स्टील लाइनर।

1985 में मेसर्स एफ एफ वी ऑडनन्स स्वीडन द्वारा मार्क III का विकास किया गया था। 17 वर्षों के बाद, मार्च 2003 में सेना ने ₹347 करोड़ की कुल लागत पर टी ओ टी के साथ 2000 रॉकेट लांचरों तथा 24,000 गोला-बारूदों के अधिष्ठापन पर विचार किया। फरवरी 2005 में किया गया टी ओ टी अनुबंध निम्नलिखित के स्वदेशी उत्पादन के लिए था:

- आयुध निर्माणी खमारिया पर 84 मि.मी. एच ई ए टी 551 गोला-बारूद;
- गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर पर रॉकेट लांचर; और
- आयुध निर्माणी देहरादून पर दूरबीनी दर्शा।

मार्च 2005 में, बोर्ड ने स्वदेशीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए फर्म (ओ ई एम) से ₹19 करोड़ की कुल लागत पर रॉकेट लांचरों के एस के डी (अर्ध-ध्वस्त) के 100 सेटों एवं सी के डी (पूर्णतः ध्वस्त) के 200 सेटों की अधिप्राप्ति की। प्रलेख जनवरी 2006 को प्राप्त हुए थे। इनमें 240 मर्दों के संबंध में आरेख शामिल थे। शेष 168 मर्दों के लिए, चूंकि ये अन्य फर्मों की स्वामित्व वाली मर्दें थीं, इसलिए ओ ई एम ने डिज़ाइनों का भी हस्तांतरण नहीं किया था (शस्त्र के 70 प्रतिशत संघटक और दूरबीनी दर्शाओं¹⁹³ के 50 प्रतिशत संघटक)। इसके अतिरिक्त गोला-बारूद के 78 प्रतिशत डिज़ाइनों का भी हस्तांतरण नहीं किया गया था।

तीन महत्वपूर्ण असंबलियों, अर्थात् बैरल, अग्र दर्शा तथा रंध्र दर्शा, जिसके लिए 41 प्रतिशत लागत होती है, का स्वदेशीकरण नहीं किया गया है। बैरल के लिए आवश्यक कार्बन फिलामेंट स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था तथा आयात पर लगे प्रतिबंध के कारण

¹⁹³ प्रदीपक बिंदु के साथ अग्र दर्शा तथा रंध्र दर्शा

उदगम देशों से (फ्रांस और जापान) उनका आयात भी नहीं किया जा सका। धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर में उत्पादित (2006-09) वैकल्पिक कार्बन फाइबर के साथ बैरल फार्जिंग्स का प्रयोग सफल नहीं था। 2010-11 के दौरान ₹83 लाख की लागत पर बैरल के स्वदेशी विकास के लिए डी आर डी ओ के साथ एक परियोजना शुरू की गई थी तथा गन एंड शेल निर्माणी ने रुपये 3 करोड़ का व्यय किया। विफलता विश्लेषण बोर्ड ने विनिर्माण प्रक्रियाओं, प्रयोग की जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता, लाइनर की तल सज्जा तथा अन्य डिज़ाइन त्रुटियों को रिपोर्ट किया (जनवरी 2013)।

1489 के मांगपत्र के प्रति गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर ने 2011-14 के दौरान मुख्यतः ओ ई एम से ₹121 करोड़ मूल्य के संघटकों का आयात करके 1782 का उत्पादन किया। बोर्ड ने मार्च 2014 तक 59 प्रतिशत स्वदेशीकरण का दावा किया।

“अननुमेय फायरिंग से परिशुद्ध फायरिंग होती है” के संबंध में गुणवत्ता समस्याएँ भी रिपोर्ट की गई थीं।

एक समानांतर कार्यक्रम में, डी आर डी ओ वर्ष 2000 से पहले से 84 मि.मी. आर एल मार्क III के समतुल्य हल्के भार के शस्त्र का विकास करने की प्रक्रिया में था। 2012 में किए गए परीक्षण सफल नहीं हुए थे और गन एंड शेल निर्माणी द्वारा उसमें आशोधन किए गए।

बोर्ड ने बताया (मई 2015) कि स्वदेशी बैरल का विकास 2016 के अंत तक प्रतीक्षित था।

(ग) टी-90 टैंकों का स्वदेशी उत्पादन: 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 35 से उद्धृत

डिज़ाइन प्रलेखों के भाषांतर में विलंब तथा गन असेंबलि जैसी महत्वपूर्ण असेंबलियों पर डिज़ाइनों को शेयर करने में रूसी फर्म की विफलता से टी-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बाधित हुआ था। इन डिज़ाइनों के वैकल्पिक उपायों पर निर्णय लेने में विलंबों के कारण यह समस्या बढ़ गई थी। विषयगत स्थिति यह है कि डी जी क्यू ए ने टी-90 टैंक के बैरल के लिए प्रस्तावित “आशोधित रसायन” का प्रयोग करने हेतु आयुध निर्माणियों के प्रस्ताव को विफल कर दिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि निर्माणियों को टी-72 टैंकों (टी-90 टैंक का पूर्वगामी) के बैरल के लिए “आशोधित रसायन” का अनुभव था; टी-72 और टी-90 टैंक समान गन बैरल का प्रयोग करते हैं। नवंबर 2007 में उसी फर्म से ₹4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों (और किटों) के नये आयात द्वारा विलंबों के प्रभाव को कम किया गया था, जो एम बी टी अर्जुन की उत्पादन रूपरेखा (2005-06 तक, नियोजित कार्यक्रम की गति के अनुसार चलने के लिए उत्पादन प्रारंभ किया गया) तथा टी-90 टैंक के उत्पादन की समस्याओं पर निर्णय लेने में अबोधय विलंबों को देखते हुए अनुचित था। इसके अतिरिक्त, टी-90 टैंक की महत्वपूर्ण असेंबलियों/संघटकों के आयात पर ₹2372 करोड़ खर्च किया गया, जो टी-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन की कुल लागत का 62 प्रतिशत था।

अनुलग्नक-XXVI

(पैराग्राफ 7.2.6.3 के संदर्भ में)

चुनौतियाँ और अवसर

	मद	चुनौतियाँ और अवसर
	निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)	
राइफल निर्माणी ईशापुर		
1.	<p>5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट</p> <p>2011-12 = 184</p> <p>2012-13 = 191</p> <p>2013-14 = 124</p>	<p>क्षमता: 2010-11 में पूर्व मांगपत्रों से अधिक बैकलॉग के कारण 2012-14 के दौरान क्षमता का अभाव था।</p> <p>गुणवत्ता: हाम्मर, ब्रीच ब्लॉक जैसे संघटकों की जामिंग के कारण समस्याएँ, खराब उत्क्षेपण, बैरल रंध में दोष, फायरिंग की निम्न दर अथवा अनिश्चित गोलीबारी, पिस्टल विस्तारण, ब्रीच ब्लॉक, ट्रिगर गार्ड जैसे विभिन्न भागों में क्षति आदि।</p> <p>मांग: चूँकि सेना के पास वर्तमान में अगले 7-8 वर्षों के लिए राइफलों की पर्याप्त मात्रा का भंडार है, इसलिए निर्माणी को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय ही इस मद के लिए उसका एकमात्र ग्राहक है।</p> <p>चुनौती: सेना ने मल्टी रोल एसॉल्ट राइफल के लिए केंद्रक उत्पादन अभिकरण के रूप में बोर्ड को नामित किया। आर एफ आई ने '5.56 मि.मी. एक्सकैलिबर राइफल एम के -1 का निर्यात नमूना' विकसित किया, उसका परीक्षण मूल्यांकन विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों द्वारा किया गया। तथापि, पर्याप्त आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। असम राइफल तथा चार राज्य पुलिस संगठनों को मात्र 1852 राइफल्स आपूर्ति किए गए थे।</p>
2.	<p>5.56 मि.मी. राइफल फोल्डेबल</p> <p>2011-12 = 11</p> <p>2012-13 = 37</p> <p>2013-14 = 36</p>	<p>मांग: 20,000 राइफलों के लिए सेना की मांग को उत्पादन में विलंब के कारण अप्रैल 2011 में 8454 तक कम किया गया। गृह मंत्रालय की मांग 2013-14 में घट गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस संगठनों ने निधियों की अनुपलब्धता के कारण शस्त्रों को नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप विशाल भंडार का अवरोधन हुआ, उदाहरणार्थ 2013-14 के दौरान ए पी पुलिस 6743 राइफल (₹33 करोड़) नहीं ले सकी।</p>
3.	<p>पिस्टल ऑटो 9 मि.मी.</p> <p>2011-12 = 26</p> <p>2012-13 = 33</p> <p>2013-14 = 2</p>	<p>क्षमता: 2011-14 के दौरान मांग 46% से 83% तक क्षमता से अधिक थी।</p> <p>मांग: सेना से अभी तक कोई नया मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सेना ने सूचित किया (दिसंबर 2013) कि अब वह व्यवहार्य नहीं था। अधिकांश राज्य/केन्द्रीय पुलिस बलों ने ग्लॉक पिस्तौल खरीदी और गृह मंत्रालय से 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए मांग में कमी थी। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने महसूस किया कि 9 मि.मी. पिस्तौल की कीमत अधिक थी, जिसने निर्माणी को कीमत कम करने के लिए मजबूर किया।</p> <p>गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 3% अस्वीकरण, जो मुख्यतः खाली कारतूत केस का खराब उत्क्षेपण, ब्रीच का बंद न होना, स्लाइड के कस जाने आदि के कारण था।</p> <p>अवसर: बोर्ड ने उत्पादन के लिए टी ओ टी शर्त सहित ग्लॉक पिस्तौल की अधिप्राप्ति करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। तथापि, उस समय तक, 9 मि.मी. पिस्तौल के लिए सृजित क्षमता का न्यून-उपयोग होगा। गृह मंत्रालय द्वारा पिस्तौलों का निरंतर आयात बोर्ड के लिए चिंता का विषय है।</p>

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
प्रधान उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता)		2011-12 = 221 (72%) 2012-13 = 261 (71%) 2013-14 = 162 (46%)
लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर		
1.	गन मशीन 7.62 मि.मी. 2011-12 = 8 2012-13 = 10 2013-14 = 9	क्षमता: मांगकर्ताओं की आवश्यकता (2010-13) के दौरान 578 से 1500 नग) निर्माणी की क्षमता से अधिक थी(300 नग) मांग: सेना की प्रति वर्ष 500 गनों (लगभग) की रोल ऑन मांग सुनिश्चित, किंतु अप्रैल 2011 में 781 गनों के लिए मात्र एक मांगपत्र तथा कोई और मांगपत्र नहीं। गुणवत्ता: 53% अस्वीकरण (₹43 करोड़) जो मुख्यतः फायरिंग की निम्न दर के कारण था। एस ए एफ मार्च 2014 तक अप्रैल 2011 के मांगपत्र के प्रति सेना को एक भी गन की आपूर्ति नहीं कर सकी। चुनौती: यदि गुणवत्ता समस्याओं को दूर किया जाता है तो इस शस्त्र तथा उसके पुर्जों के लिए निरंतर मांग होगी।
2.	राइफल 5.56 मि.मी. फिक्स्ड बट्ट 2011-12 = 72 2012-13 = 61 2013-14 = 16	जैसा कि आर एफ आई के क्रमांक- 1 में चर्चा की गई है।
3.	5.56 मि.मी. एल एम जी 2011-12 = 20 2012-13 = 19 2013-14 = 37	क्षमता: 2013-14 का लक्ष्य 10620 सं. के लिए था, जो क्षमता का 133% था। मांग: सेना/गृह मंत्रालय की मांग सुसंगत है। एस ए एफ को शस्त्र की गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 22% (₹57 करोड़) का अस्वीकरण, जो बहुत अधिक था।
प्रधान उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गम की प्रतिशतता)		2011-12 = 101(51%) 2012-13 = 90(47%) 2013-14 = 62(34%)
आयुध निर्माणी त्रिचि		
1.	5.56 मि.मी. राइफल फिक्स्ड बट्ट 2011-12 = 73 2012-13 = 63 2013-14 = 13	जैसा कि आर एफ आई के क्रमांक- 1 में चर्चा की गई है।
निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता के रूप में लघु शस्त्र		2011-12 = 38% 2012-13 = 33% 2013-14 = 8%

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
मध्यम क्षमता वाले शस्त्र		
1.	40 मि.मी. अधो बैरल ग्रेनेड लांचर 2011-12 = 13 2012-13 = 22 2013-14 = 42	क्षमता: लक्ष्य 2011-14 के दौरान क्षमता (1500 नग) के 267% से 483% की श्रेणी में 1 वर्धित मांग की दृष्टि में, निर्माणी की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता: प्रमुख व्यवधान धात्विक विकृति को रोकने के लिए बैरलों का एम ए ओ (माइक्रो-आर्क ऑक्सीडेशन) लेपन है। एम ए ओ लेपन सुविधा की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। बोर्ड ने कहा (मई 2015) कि एम ए ओ लेपन की मांग अब परिकल्पित नहीं की गई थी, क्योंकि हार्ड ऐनोडाइजिंग से लेपित बैरलों ने निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा किया था। अवसर: सेना तथा गृह मंत्रालय से उत्पाद के लिए मांग है। इसके अतिरिक्त, टी ए वी ओ आर एसॉल्ट राइफल के साथ यू बी जी एल को फिट किए जाने के विकल्प का पता लगाया जा रहा था।
2.	युद्ध वाहन बी एम पी के लिए 30 मि.मी. तोप 2011-12 = 22 2012-13 = 25 2013-14 = 23	आयात पर निर्भरता: गनों के स्प्रिंगों (विशेष पदार्थ से बना ताप वेल्लित स्प्रिंग) से संबंधित समस्या का हल नहीं हुआ था; जो रूसी फर्म मेसर्स आर ओ ई से आयात की जाने वाली एक परिवार्षिक मद है। स्थानीय व्यापार स्रोतों से खरीदे गए एवजियों को निरीक्षण के दौरान अस्वीकार किया गया। बोर्ड ने हमें बताया (मई 2015) कि तब से स्प्रिंगों का स्वदेशीकरण किया गया था तथा समस्या का समाधान हुआ था। चुनौती: वर्ष 2012-13 की तुलना में उत्पादन लागत में 49 प्रतिशत वृद्धि के कारण निर्माणी को विशेषतया 2013-14 में इस मद के उत्पादन में हानि हुई।
3.	12.7 मि.मी. एयर डिफेन्स गन 2011-12 = 6 2012-13 = 4 2013-14 = 6	क्षमता: प्रतिवर्ष 120 गनों का उत्पादन करने की क्षमता तथा 2011-14 को तीन वर्षों में क्रमशः 50, 100 एवं 150 गनों के लक्ष्य के बावजूद ओ एफ टी ने क्रमशः 91, 40 एवं 60 गनों का उत्पादन किया। अवसर: हेलिकॉप्टर पर स्थापित करके (सी जी एच क्यू) गन का प्रयोग करने के लिए अनेक विकल्पों की खोज की गई है। बी ई एम एल ने दूर से नियंत्रित शस्त्र प्रणालियों हेतु 200 गनों के लिए आदेश दिया था। मारुति जिप्सी पर गन स्थापित करने के लिए सेना प्रस्ताव भी कर रही थी।
	मध्यम क्षमता वाले उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता)	2011-12 = 42 (22%) 2012-13 = 51 (26%) 2013-14 = 71 (28%)
गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर		
1.	ए के- 630 गन 2011-12 = 66 2012-13 = 50 2013-14 = 21	मांग: 2011-14 को दौरान लक्ष्य (15, 18, और 15 नग) क्षमता (10 नग) से अधिक थे। तथापि, 2011-14 के दौरान उपलब्धि कम थी (4, 5 और 10 नग)। चुनौती: मई 2006 की टी ओ टी के प्रति ओ एफ बी द्वारा जून 2012 तक 40 प्रमुख असेंबलियों में से 27 का स्वदेशीकरण किया जाना था। जनवरी 2015 तक केवल 19 असेंबलियों का ही स्वदेशीकरण किया गया था (मूल्य के हिसाब से 67%)। शेष असेंबलियों के लिए निर्माणी अब भी आयात पर निर्भर करती है।
	निर्माणी के निर्गमों के मूल्य की कुल प्रतिशतता	2011-12 = 16% 2012-13 = 11% 2013-14 = 4%

मद		चुनौतियाँ और अवसर
निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)		
उच्च क्षमता वाले गन		
गन एंड शेल निर्माणी काशीपुर		
1.	84 मि.मी. रॉकेट लांचर एम के - III 2011-12 = 92 2012-13 = 90 2013-14 = 82	क्षमता: वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए 2300 तथा 2800 नगों का लक्ष्य क्षमता (1800 नग) से अधिक था। क्षमता से कम उपलब्धि :2011-14 के दौरान 612 से 806। गुणवत्ता: आर एफ आर का उच्च प्रभाव : मुख्यतः बैरल की उप-असेंब्लि में उभाड़, बैरल में 'राइफलिंग के आरंभ' पर विनिर्देशनों से विचलनों के कारण 2011-12 में 19%, 2012-13 में 58% और 2013-14 में 66%। चुनौती: स्वीडिश निर्माता से टी ओ टी गैर-प्राप्ति के कारण तीन महत्वपूर्ण असेंब्लियों, अर्थात् अग्र दर्शा और रंध दर्शा का स्वदेशीकरण नहीं हुआ था। 2011-14 के दौरान निर्माणी को ₹168 करोड़ मूल्य के इन संघटकों का आयात करना पड़ा था। बैरल के इन-हाउस विकास के लिए निर्माणी का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है।
	निर्माणी के निर्गमों के मूल्य की कुल प्रतिशतता	2011-12 = 22% 2012-13 = 21% 2013-14 = 16%
गन कैरिज निर्माणी जबलपुर		
1.	सी ई एस के साथ 81 मि.मी. मोर्टार 2011-12 = 18 2012-13 = 23 2013-14 = 35	मांग: सेना ने रोल-ऑन योजना में मांग की भारी कटौती प्रक्षिप्त की : 2011-13 के लिए प्रति वर्ष 150 नगों से 2013-16 के लिए प्रति वर्ष 25 नग। चुनौती: उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 150 नग है। निर्माणी मुख्यतः उत्पाद के पुर्जे जोड़ती है, जहाँ जी एस एफ द्वारा अधिकांश संघटकों का उत्पादन किया जाता है; अतः इस उत्पाद को 2015-16 से जी एस एफ में स्थानांतरित किया जाएगा। 2015-16 से जी सी एफ पर निष्क्रिय क्षमता होगी।
2.	105 मि.मी. लाइट फील्ड गन 2011-12 = 133 2012-13 = 108 2013-14 = 34	मांग: उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 34 नग है। रोल-ऑन योजना में सेना ने 2013-14 से 30 एल एफ जी की वार्षिक मांग प्रक्षिप्त की। किंतु 2013-14 में केवल 8 गनों का मांगपत्र ही प्राप्त हुआ था। गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान आर एफ आर का उच्च प्रभाव 26% (₹67 करोड़), जो मुख्यतः बैरल में बारूद के सीमित संचलन, ब्रीच ब्लॉक के गलत प्रकार्य के कारण था।
3.	टी- 72 टैंक के लिए स्पेयर बैरल 2011-12 = 48 2012-13 = 101 2013-14 = 100	गुणवत्ता: 2011-14 के दौरान 9% की आर एफ आर के अतिरिक्त बैरल के फटने की अनेक घटनाएं हुई थीं। जांच से पता चला कि टी ओ टी में दिए गए विनिर्देशों को बदलने की आवश्यकता थी। चुनौती: ओ एफ सी तथा एफ जी के पर टी- 72 बैरलों के उत्पादन में मुख्य व्यवधान बैरलों के लिए फोर्जिंग्स की आपूर्ति करने में एम एस एफ की अपर्याप्त क्षमता थी। एल पी आर पर फायरिंग बट्ट की क्षति के कारण 2013 के दौरान सेना को स्पेयर बैरल का निर्गम करने में अवरोध हुआ था, जिससे प्रूफ पर बुरा प्रभाव पड़ा।
	उत्पादों का कुल मूल्य (निर्माणी के कुल निर्गमों की प्रतिशतता के रूप में)	2011-12 = 199 (36%) 2012-13 = 233 (52%) 2013-14 = 169 (33%)

अनुलग्नक-XXVII

(पैराग्राफ 7.3.1.4 के संदर्भ में)

कोरडाईट निर्माणी, अरवांकाडु	उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी	आयुध निर्माणी भंडारा	आयुध निर्माणी, ईटारसी
(i) 105 मि.मी. आई एफ जी/एन सी	(i) स्लैब विध्वंस	(i) चार्ज एम 4 ए 2	(i) 130 मि.मी. कारतूस आर वी सी के लिए आई एन सी चार्ज
(ii) कारतूस 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए आई एन सी चार्ज	(ii) 81 मि.मी. के लिए ए यू जी	(ii) आंसू गैस	(ii) 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए प्रोप
(iii) 130 मि.मी. आर वी सी के लिए प्रोप	(iii) 120 मि.मी. के लिए ए यू जी	(iii) विस्फोटक कॉर्ड	(iii) आकाश एस प्रणोदक
(iv) कारतूस 130 मि.मी. एफ वी सी के लिए सहायक ईग्नीटर	(iv) पी ई के	(iv) नग्न केबीएस	(iv) आकाश बी प्रणोदक
(v) एस पी ए II के लिए प्रोप	(v) टी एन टी	(v) एन जी बी 204,	(v) 155 मि.मी. ई आर एफ बी (बी बी) के लिए एस डी- 122
(vi) एसपीए III के लिए प्रोप	(vi) डी एन आर	(vi) एन जी बी 221	(vi) 5.56 मि.मी. बाल पाउडर
(vii) ए.के. 100 नौसेना के लिए प्रोप	(vii) डी एन टी गुच्छे	(vii) एन जी बी 241	(vii) 7.62 मि.मी. बाल पाउडर
(viii) कारतूस 120 एम के लिए एन क्यू / एम प्रोप	(viii) मध्यवर्ती उत्पादों अर्थात लेड स्थीपनेट, बुनियादी लेड ए जेड, एच एन एस, लेड एजाईड, मरकरी फलमीनेट, समग्र विस्फोटक और टेट्राजीन	(viii) 30 मि.मी. बीएमपी - II	(viii) ए -7 के लिए बाल पाउडर
(ix) कारतूस 130 मि.मी. के लिए एफ वी सी के लिए एन क्यू/ एम 254 के लिए ल्यूज प्रोप		(ix) एन सी-1066	(ix) पिनाका प्रणोदक
		(x) एन सी 688	(x) पिक्राईट/एन आई जी यू
		(xi) प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	(xi) राइफल ब्लेंड एन. सी.
		(xii) एम ई 305 और	(xii) चार्ज 8
		(xiii) हेक्सोलाईट-ए	
		(xiv) पी एफ एफ सी	
		(xv) आर डी एक्स / टीएनटी 60:40 ए	
		(xvi) आर डी एक्स / टीएनटी 60:40 बी	
		(xvii) आर डी एक्स /डब्ल्यू ए एक्स 88:12	
		(xviii) आर डी एक्स /डब्ल्यू ए एक्स 95: 5	
		(xix) हेक्सोलाईट बी	

अनुलग्नक-XXVIII

(पैराग्राफ 7.3.2.4 एवं 7.3.2.5 के संदर्भ में)

**2011-14 के दौरान रासायनिक निर्माणियों की उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण
(मार्च की उपलब्धि)**

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी	प्रतिशतता	
			लक्ष्य			संशोधित लक्ष्य के संदर्भ में	कमी	उपलब्धि
2011-12								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4 ए 2 चार्ज	संख्या	15000	29603	580	-29023	98.04	1.96
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	526000	526329	506515	-19814	3.76	96.24
4	के बी एस नेकेड	संख्या	0	2500	1452	-1048	41.92	58.08
5	एन जी बी 204	एम टी	72	72	85.83	13.83	-19.21	119.21
6	एन जी बी 221	एम टी	40	112.7	67.5	-45.2	40.11	59.89
7	एन जी बी 241	एम टी	20	67	40	-27	40.30	59.70
8	30 मि.मी. बी एम पी-11	एम टी	53	64	24	-40	62.50	37.50
9	एन सी 1066	एम टी	100	125	84	-41	32.80	67.20
10	एन सी 688	एम टी	22	30	30	0	0.00	100.00
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	211	266	64.5	-201.5	75.75	24.25
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	316	388	119	-269	69.33	30.67
13	आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	101	149.5	81	-68.5	45.82	54.18
14	आर डी एक्स/डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	57	57	0	-57	100.00	0.00
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	0	27	0	-27	100.00	0.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	148.5	150	109	-41	27.33	72.67
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	6000	6000	3414	-2586	43.10	56.90
18	एम ई 305	एम टी	7.3	9.5	6.66	-2.84	29.89	70.11
19	पी एफ एफ सी	टन	21	15	5	-10	66.67	33.33
ओ एफ आई								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	45000	50500	40000	-10500	20.79	79.21
21	प्रोप 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	67000	80000	72000	-8000	10.00	90.00
22	पिकराइट	एम टी	360	500	400	-100	20.00	80.00

23	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	490	515	486.47	-28.53	5.54	94.46
24	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	150	119.31	-30.69	20.46	79.54
25	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	20	20	8.005	-11.995	59.98	40.03
26	155मि.मी. ई आर एफ बी के लिए एस डी 122	संख्या	15000	20000	20460	460	-2.30	102.30
27	पिनाका	सेट	1100	1500	1416	-84	5.60	94.40
28	आकाश बी	संख्या	8	8	4	-4	50.00	50.00
29	आकाश एस	संख्या	80	80	44	-36	45.00	55.00
30	राइफल ब्लेन्ड	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	2000	200	200	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/टी एन टी विशिष्ट	एम टी	2677	3030	2784	-246	8.12	91.88
33	स्लैब डिमालिशन	संख्या	332740	293398	294709	1311	-0.45	100.45
34	सी ई 14/100	एम टी	89.65	112	62	-50	44.64	55.36
35	एच एन एस	किलोग्राम	1036	1490	1160	-330	22.15	77.85
36	पी ई के	एम टी	7.316	7.316	12.881	5.565	-76.07	176.07
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	147	8	-5.76	105.76
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	90000	110000	110000	0	0.00	100.00
41	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	65000	69000	69000	0	0.00	100.00
42	130 मि.मी. के लिए सहायक ईग्नाइटर	संख्या	20000	32059	22500	-9559	29.82	70.18
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	32059	22500	-9559	29.82	70.18
44	एस पी ए II	किलोग्राम	4135	6000	6000	0	0.00	100.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	13280	14000	14000	0	0.00	100.00
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	5000	6025	5500	-525	8.71	91.29
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	250265	249930	-335	0.13	99.87

2012-13								
ओ एफ भंडारा								
1	एम4ए2 चार्ज	संख्या	20000	15000	15008	8	-0.05	100.05
2	ऑसू गैस	टन	16	16	16	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	1000194	600000	599810	-190	0.03	99.97
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2500	2500	2062	-438	17.52	82.48
5	एन जी बी 204	एम टी	182.5	99	84	-15	15.15	84.85
6	एन जी बी 221	एम टी	112.33	56	32.5	-23.5	41.96	58.04
7	एन जी बी 241	एम टी	79.7	19.7	20	0.3	-1.52	101.52
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	68.03	68.03	49.9	-18.13	26.65	73.35
9	एन सी 1066	एम टी	100	100	84.9	-15.1	15.10	84.90
10	एन सी 688	एम टी	29.1	29.1	30.2	1.1	-3.78	103.78
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	164.98	164.98	78	-86.98	52.72	47.28
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	295.13	295.13	148	-147.13	49.85	50.15
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98.2	98.2	50	-48.2	49.08	50.92
14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	55.6	55.6	21.625	-33.975	61.11	38.89
15	हेक्सोलाइट A	एम टी	15	15	4	-11	73.33	26.67
16	हेक्सोलाइट B	एम टी	212.2	212.2	89	-123.2	58.06	41.94
17	प्राप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	7750	7750	4000	-3750	48.39	51.61
18	एम ई 305	एम टी	12.5	12.5	8.37	-4.13	33.04	66.96
19	पी एफ एफ सी	टन	37	37	20	-17	45.95	54.05
ओ एफ इटारसी								
20	पिकराइट	एम टी	320	387	353.54	-33.46	8.65	91.35
21	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	488	488	419.66	-68.34	14.00	86.00
22	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	140	140	104.13	-35.87	25.62	74.38
23	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	63	63	55.545	-7.455	11.83	88.17
24	155 मि.मी. ई आर एफ बी (बीबी) के लिये एस डी 122	संख्या	20000	10000	10230	230	-2.30	102.30
25	पिनाका प्रोपेलेंट	एम टी	1500	1500	1061	-439	29.27	70.73
26	आकाश बी	एम टी	8	8	8	0	0.00	100.00
27	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	66000	68000	2000	-3.03	103.03
28	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	50000	80000	80000	0	0.00	100.00
29	130 मि.मी. एफ वी सी	संख्या	0	1000	1000	0	0.00	100.00
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	24	24	0	0.00	100.00
31	आकाश एस	संख्या	134	134	134	0	0.00	100.00
32	चार्ज 8	संख्या	644	644	644	0	0.00	100.00

एच ई एफ								
33	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	2593	2593	1703	-890	34.32	65.68
34	स्लैब डिमालिशन	संख्या	125000	132500	141886	9386	-7.08	107.08
35	सी ई 14/100	एम टी	85	85	85	0	0.00	100.00
36	एच एन एस	किलोग्राम	1032	1032	1032	0	0.00	100.00
37	पी ई के	एम टी	6.588	6.588	12.136	5.548	-84.21	184.21
38	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	121.8	-17.2	12.37	87.63
39	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	400000	200000	-200000	50.00	50.00
40	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	70000	16170	-53830	76.90	23.10
सी एफ ए								
41	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	100400	134900	104900	-30000	22.24	77.76
42	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	80000	74000	74000	0	0.00	100.00
43	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	16000	20000	20030	30	-0.15	100.15
44	130मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	16000	20000	20030	30	-0.15	100.15
45	एस पी ए II	किलोग्राम	4540	2000	2000	0	0.00	100.00
46	एस पी ए III	किलोग्राम	16320	16320	16320	0	0.00	100.00
47	ए के 100 नेवल	किलोग्राम	0	7000	6045	-955	13.64	86.36
48	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34680	34680	34680	0	0.00	100.00
49	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	219620	219955	335	-0.15	100.15
2013-14								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	22000	15000	14084	-916	6.11	93.89
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	686900	446965	472830	25865	-5.79	105.79
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2750	2750	2745	-5	0.18	99.82
5	एन जी बी 204	एम टी	160	120	120	0	0.00	100.00
6	एन जी बी 221	एम टी	55.8	63	68	5	-7.94	107.94
7	एन जी बी 241	एम टी	57.76	35	35	0	0.00	100.00
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	55.2	65	21.65	-43.35	66.69	33.31
9	एन सी 1066	एम टी	110	85	63	-22	25.88	74.12
10	एन सी 688	एम टी	25	28	26.8	-1.2	4.29	95.71
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	91.55	85.24	88	2.76	-3.24	103.24
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	184	192	171	-21	10.94	89.06
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98	70	64	-6	8.57	91.43

2015 की प्रतिवेदन संख्या 44 (रक्षा सेवाएं)

14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	21.8	42.8	37	-5.8	13.55	86.45
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	6	10	6	-4	40.00	60.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	180	180	181	1	-0.56	100.56
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	5000	7000	434	-6566	93.80	6.20
18	एम ई 305	एम टी	12.96	16.5	9.99	-6.51	39.45	60.55
19	पी एफ एफ सी	टन	0	18	8.9	-9.1	50.56	49.44
ओ एफ इटारसी								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	77000	40000	39000	-1000	2.50	97.50
21	पिनाका	एम टी	1500	1500	1164	-336	22.40	77.60
22	आकाश बी	एम टी	0	50	0	-50	100.00	0.00
23	प्रोपेलेंट 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	76000	64000	86200	22200	-34.69	134.69
24	पिकराइट	एम टी	524	425	425	0	0.00	100.00
25	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	420	432	432.54	0.54	-0.13	100.13
26	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	128	128.16	0.16	-0.12	100.13
27	बाल पाउडर ए 7	एम टी	82	41	40.03	-0.97	2.37	97.63
28	एस डी 122 मि.मी. 155 मि.मी.	संख्या	22000	2000	2046	46	-2.30	102.30
29	आकाश एस	एम टी	0	120	125	5	-4.17	104.17
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	900	900	900	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	3123	1307	1648.95	341.95	-26.16	126.16
33	स्लैब डिमालिशन	संख्या	202147	78290	78290	0	0.00	100.00
34	सी ई 14/100	एम टी	70.4	36	42.5	6.5	-18.06	118.06
35	एच एन एस	किलोग्राम	285	1360	1179	-181	13.31	86.69
36	पी ई के	एम टी	12.18	12.397	11.509	-0.888	7.16	92.84
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	154	154	156.45	2.45	-1.59	101.59
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	1500000	2400000	2400000	0	0.00	100.00
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	250000	250000	249934	-66	0.03	99.97
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	134000	176500	174880	-1620	0.92	99.08
41	130 एम एम आर वी सी	संख्या	70000	46756	38836	-7920	16.94	83.06
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	15000	15030	30	-0.20	100.20

43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	15000	15030	30	-0.20	100.20
44	एस पी ए II	किलोग्राम	6400	2000	7000	5000	-250.00	350.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	12900	12000	12000	0	0.00	100.00
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34400	27000	27000	0	0.00	100.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	163025	163370	345	-0.21	100.21

**2011-14 के दौरान रसायन निर्माता निर्माणियों की उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण
(जनवरी की उपलब्धि)**

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
2011-12								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए2 चार्ज	संख्या	15000	29603	0	-29603	100.00	0.00
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	526000	526329	383385	-142944	27.16	72.84
4	के बी एस नेकेड	संख्या	0	2500	915	-1585	63.40	36.60
5	एन जी बी 204	एम टी	72	72	71.828	-0.172	0.24	99.76
6	एन जी बी 221	एम टी	40	112.7	59.5	-53.2	47.20	52.80
7	एन जी बी 241	एम टी	20	67	28	-39	58.21	41.79
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	53	64	20.5	-43.5	67.97	32.03
9	एन सी 1066	एम टी	100	125	63	-62	49.60	50.40
10	एन सी 688	एम टी	22	30	24	-6	20.00	80.00
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	211	266	46.5	-219.5	82.52	17.48
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	316	388	87	-301	77.58	22.42
13	आर डी एक्स /डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	101	149.5	61	-88.5	59.20	40.80
14	आर डी एक्स / डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	57	57	0	-57	100.00	0.00
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	0	27	0	-27	100.00	0.00
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	148.5	150	24	-126	84.00	16.00
17	प्रोप 68मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	6000	6000	2500	-3500	58.33	41.67
18	एम ई 305	एम टी	7.3	9.5	4.77	-4.73	49.79	50.21
19	पी एफ एफ सी	टन	21	15	5	-10	66.67	33.33
ओ एफ इटारसी								

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	45000	50500	40000	-10500	20.79	79.21
21	प्रोप 130मि.मी. आर वी सी	संख्या	67000	80000	60000	-20000	25.00	75.00
22	पिकराइट	एम टी	360	500	352	-148	29.60	70.40
23	बाल पाउडर 5.56मि.मी.	एम टी	490	515	368.46	-146.54	28.45	71.55
24	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	150	87.61	-62.39	41.59	58.41
25	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	20	20	24.19	4.19	-20.95	120.95
26	155 मि.मी. ई आर एफ बी के लिए एस डी 122	संख्या	15000	20000	16368	-3632	18.16	81.84
27	पिनाका	सेट	1100	1500	1107	-393	26.20	73.80
28	आकाश बी	संख्या	8	8	0	-8	100.00	0.00
29	आकाश एस	संख्या	80	80	21	-59	73.75	26.25
30	राइफल ब्लेन्ड	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	2000	200	200	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	2677	3030	2087	-943	31.12	68.88
33	स्लैब डीमालिशन	संख्या	332740	293398	181810	-111588	38.03	61.97
34	सी ई 14/100	एम टी	89.65	112	50	-62	55.36	44.64
35	एच एन एस	किलोग्राम	1036	1490	456	-1034	69.40	30.60
36	पी ई के	एम टी	7.316	7.316	4.98	-2.336	31.93	68.07
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	108.15	-30.85	22.19	77.81
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	0	0	0	0	0
सी एफ ए								
40	105मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	90000	110000	88315	-21685	19.71	80.29
41	130मि.मी. आर वी सी	संख्या	65000	69000	42337	-26663	38.64	61.36
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	32059	16342	-15717	49.03	50.97
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	32059	16342	-15717	49.03	50.97
44	एस पी ए II	किलोग्राम	4135	6000	6000	0	0.00	100.00

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
45	एस पी ए III	किलोग्राम	13280	14000	11000	-3000	21.43	78.57
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	5000	6025	0	-6025	100.00	0.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	250265	0	-250265	100.00	0.00
2012-13								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	20000	15000	6911	-8089	53.93	46.07
2	ऑसू गैस	टन	16	16	9.48	-6.52	40.75	59.25
3	काई डिटोनेटिंग	मीटर	1000194	600000	471000	-129000	21.50	78.50
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2500	2500	1541	-959	38.36	61.64
5	एन जी बी 204	एम टी	182.5	99	36	-63	63.64	36.36
6	एन जी बी 221	एम टी	112.33	56	28.5	-27.5	49.11	50.89
7	एन जी बी 241	एम टी	79.7	19.7	12	-7.7	39.09	60.91
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	68.03	68.03	38.85	-29.18	42.89	57.11
9	एन सी 1066	एम टी	100	100	59.4	-40.6	40.60	59.40
10	एन सी 688	एम टी	29.1	29.1	23.7	-5.4	18.56	81.44
11	आर डी एक्स /टी एन टी 60:40 ए	एम टी	164.98	164.98	55	-109.98	66.66	33.34
12	आर डी एक्स /टी एन टी 60:40 बी	एम टी	295.13	295.13	109	-186.13	63.07	36.93
13	आर डी एक्स / डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98.2	98.2	39	-59.2	60.29	39.71
14	आर डी एक्स / डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	55.6	55.6	19.125	-36.475	65.60	34.40
15	हेक्सोलाइट ए	एम टी	15	15	4	-11	73.33	26.67
16	हेक्सोलाइट बी	एम टी	212.2	212.2	80	-132.2	62.30	37.70
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	7750	7750	0	-7750	100.00	0.00
18	एम ई 305	एम टी	12.5	12.5	6.75	-5.75	46.00	54.00
19	पी एफ एफ सी	टन	37	37	10	-27	72.97	27.03
ओ एफ इटारसी								
20	पिकराइट	एम टी	320	387	255.54	-131.46	33.97	66.03
21	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	488	488	306.83	-181.17	37.13	62.88
22	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	140	140	72.09	-67.91	48.51	51.49
23	बाल पाउडर ए के 47	एम टी	63	63	39.535	-23.465	37.25	62.75

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
24	155 मि.मी. ई आर एफ बी (बी बी) के लिए एस डी 122	संख्या	20000	10000	8184	-1816	18.16	81.84
25	पिनाका प्रोपेलेंट	एम टी	1500	1500	704	-796	53.07	46.93
26	आकाश बी	एम टी	8	8	4	-4	50.00	50.00
27	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	66000	35520	-30480	46.18	53.82
28	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	50000	80000	63000	-17000	21.25	78.75
29	130 मि.मी. एफ वी सी	संख्या	0	1000	1000	0	0.00	100.00
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	24	24	0	0.00	100.00
31	आकाश एस	संख्या	134	134	98	-36	26.87	73.13
32	चार्ज 8	संख्या	644	644	644	0	0.00	100.00
एच ई एफ								
33	टी एन टी/टी एन टी स्पेशल	एम टी	2593	2593	1173	-1420	54.76	45.24
34	स्लैब डीमालिशन	संख्या	125000	132500	116444	-16056	12.12	87.88
35	सी ई 14/100	एम टी	85	85	57	-28	32.94	67.06
36	एच एन एस	किलोग्राम	1032	1032	384	-648	62.79	37.21
37	पी ई के	एम टी	6.588	6.588	2.089	-4.499	68.29	31.71
38	डी एन टी फ्लेक	एम टी	139	139	103.95	-35.05	25.22	74.78
39	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	400000	44160	-355840	88.96	11.04
40	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	0	70000	7504	-62496	89.28	10.72
सी एफ ए								
41	105मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	100400	134900	82295	-52605	39.00	61.00
42	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	80000	74000	51180	-22820	30.84	69.16
43	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	16000	20000	16332	-3668	18.34	81.66
44	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	16000	20000	16332	-3668	18.34	81.66
45	एस पी ए II	किलोग्राम	4540	2000	2000	0	0.00	100.00
46	एस पी ए III	किलोग्राम	16320	16320	12000	-4320	26.47	73.53
47	ए के 100 नेवल	किलोग्राम	0	7000	0	-7000	100.00	0.00
48	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/ एम 110	किलोग्राम	34680	34680	34680	0	0.00	100.00
49	लूज प्रोप एन क्यू 254	संख्या	0	219620	0	-219620	100.00	0.00

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
2013-14								
ओ एफ भंडारा								
1	एम 4ए 2 चार्ज	संख्या	22000	15000	6069	-8931	59.54	40.46
2	ऑसू गैस	टन	10	10	10	0	0.00	100.00
3	कार्ड डिटोनेटिंग	मीटर	686900	446965	298260	-148705	33.27	66.73
4	के बी एस नेकेड	संख्या	2750	2750	2745	-5	0.18	99.82
5	एन जी बी 204	एम टी	160	120	92	-28	23.33	76.67
6	एन जी बी 221	एम टी	55.8	63	60	-3	4.76	95.24
7	एन जी बी 241	एम टी	57.76	35	32	-3	8.57	91.43
8	30 मि.मी. बी एम पी-II	एम टी	55.2	65	16.5	-48.5	74.62	25.38
9	एन सी 1066	एम टी	110	85	60.5	-24.5	28.82	71.18
10	एन सी 688	एम टी	25	28	21.7	-6.3	22.50	77.50
11	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 ए	एम टी	91.55	85.24	49	-36.24	42.52	57.48
12	आर डी एक्स/टी एन टी 60:40 बी	एम टी	184	192	88	-104	54.17	45.83
13	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 88:12	एम टी	98	70	50	-20	28.57	71.43
14	आर डी एक्स/ डब्ल्यू ए एक्स 95:5	एम टी	21.8	42.8	25	-17.8	41.59	58.41
15	हेक्सीलाइट ए	एम टी	6	10	4	-6	60.00	40.00
16	हेक्सीलाइट बी	एम टी	180	180	87	-93	51.67	48.33
17	प्रोप 68 मि.मी. एस एन ई बी	संख्या	5000	7000	310	-6690	95.57	4.43
18	एम ई 305	एम टी	12.96	16.5	3.51	-12.99	78.73	21.27
19	पी एफ एफ सी	टन	0	18	0	-18	100.00	0.00
ओ एफ इटारसी								
20	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	77000	40000	39000	-1000	2.50	97.50
21	पिनाका	एम टी	1500	1500	684	-816	54.40	45.60
22	आकाश बी	एम टी	0	50	0	-50	100.00	0.00
23	प्रोपेलेंट 130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	76000	64000	64000	0	0.00	100.00
24	पिकराइट	एम टी	524	425	380	-45	10.59	89.41
25	बाल पाउडर 5.56 मि.मी.	एम टी	420	432	360.45	-71.55	16.56	83.44
26	बाल पाउडर 7.62 मि.मी.	एम टी	100	128	88.11	-39.89	31.16	68.84
27	बाल पाउडर ए 7	एम टी	82	41	40.03	-0.97	2.37	97.63

क्रम संख्या	मद का नाम		मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आर टी)	निर्गम	कमी आर टी के संदर्भ में	प्रतिशतता	
							गिरावट	उपलब्धि
28	एस डी 122मि.मी. 155 मि.मी.	संख्या	22000	2000	2046	46	-2.30	102.30
29	आकाश एस	एम टी	0	120	83	-37	30.83	69.17
30	राइफल ब्लेन्ड एन सी	संख्या	0	0	0	0	0	0
31	चार्ज 8	संख्या	900	900	800	-100	11.11	88.89
एच ई एफ								
32	टी एन टी/ टी एन टी स्पेशल	एम टी	3123	1307	1251.96	-55.04	4.21	95.79
33	स्लैब डीमालिशन	संख्या	202147	78290	34210	-44080	56.30	43.70
34	सी ई 14/100	एम टी	70.4	36	42.5	6.5	-18.06	118.06
35	एच एन एस	किलोग्राम	285	1360	1160	-200	14.71	85.29
36	पी ई के	एम टी	12.18	12.397	11.241	-1.156	9.32	90.68
37	डी एन टी फ्लेक	एम टी	154	154	118.65	-35.35	22.95	77.05
38	81 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	1500000	2400000	1218360	-1181640	49.24	50.77
39	120 मि.मी. के लिए ए यू जी चार्ज	संख्या	250000	250000	190025	-59975	23.99	76.01
सी एफ ए								
40	105 मि.मी. आई एफ जी एन सी	संख्या	134000	176500	119180	-57320	32.48	67.52
41	130 मि.मी. आर वी सी	संख्या	70000	46756	34816	-11940	25.54	74.46
42	130 मि.मी. के लिए सहायक इगनाइटर	संख्या	20000	15000	9431	-5569	37.13	62.87
43	130 मि.मी. के लिए चार्ज आई एन सी	संख्या	20000	15000	9431	-5569	37.13	62.87
44	एस पी ए II	किलोग्राम	6400	2000	7000	5000	-250.00	350.00
45	एस पी ए III	किलोग्राम	12900	12000	10000	-2000	16.67	83.33
46	ए के 100 नेवल	संख्या	0	0	0	0	0	0
47	120 एम के लिए प्रोप एन क्यू/एम 110	किलोग्राम	34400	27000	27000	0	0.00	100.00
48	लूज प्रोप एन क्यू/एम 254	संख्या	0	163025	0	-163025	100.00	0.00

(स्रोत: (i) मूल लक्ष्य के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का पत्र संख्या (i) 110/प्रोड/पी एक्स दिनांक 23 फरवरी 2011, 5/10 जनवरी 2012 एवं 26 अक्टूबर 2012 (ii) संशोधित लक्ष्य के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का पत्र संख्या (i) 110/प्रोड/पी एक्स दिनांक 20 मई 2011, 26 मई 2011, 20 जून 2012, 27 जुलाई 2012, 10/22 मई 2013 एवं 21 मार्च 2014 (iii) माह जनवरी 2012, 2013 एवं 2014 के लिए निर्माणी की उपलब्धि प्रतिवेदन और (iv) माह मार्च 2012, 2013 एवं 2014 के लिए निर्माणी की उपलब्धि प्रतिवेदन)

अनुलग्नक- XXIX

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

एस एच आई एस से टी ई के प्रस्तुतीकरण में लगा समय

निर्माणी	वर्ष	एस एच आई एस की संख्या जिसके प्रति टी ई निर्गम हुए	एस एच आई एस के तैयार होने के बाद निविदा सूचना निर्गम होने में लगा समय (महीनों में)					एक माह से कुल अधिक
			<1	1-2	3-5	6-8	>9	
सी एफ ए	2011-12	1129	5	687	269	29	2	987
	2012-13	671	129	300	46	22	15	383
	2013-14	636	100	256	68	25	36	385
ओ एफ आई	2011-12	103	18	61	5	9	10	85
	2012-13	138	9	78	41	8	2	129
	2013-14	97	24	53	16	3	1	73
ओ एफ भंडारा	2011-12	108	10	8	24	43	23	98
	2012-13	52	7	12	4	8	21	45
	2013-14	102	9	43	28	13	9	93
एच ई एफ	2011-12	454	45	89	153	84	83	409
	2012-13	504	119	107	194	63	21	385
	2013-14	320	109	99	76	25	11	211
योग	2011-12	1794	78	845	451	165	118	1579
	2012-13	1365	264	497	285	101	59	942
	2013-14	1155	242	451	188	66	57	762

(स्रोत: संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXX

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

एस एच आई एस की तारीख से आदेश के प्रस्तुतीकरण में लगा समय

निर्माणी	वर्ष	एस एच आई एस की संख्या जिसके प्रति आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया	एस एच आई एस के बाद आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लगा समय (महीनों में)			कुल छह माह से अधिक
			< 6	6-8	>9	
सी एफ ए	2011-12	1129	923	146	60	206
	2012-13	671*	538	100	32	132
	2013-14	636	434	77	125	202
ओ एफ इटारसी	2011-12	103	67	14	22	36
	2012-13	138	112	16	10	26
	2013-14	97	68	15	12	27
ओ एफ भंडारा	2011-12	108	20	29	59	88
	2012-13	52	13	10	29	39
	2013-14	102	46	30	26	56
एच ई एफ	2011-12	454	163	125	160	285
	2012-13	504	246	174	73	247
	2013-14	320	155	94	55	149
योग	2011-12	1794	1173	314	301	615
	2012-13	1365	909	300	144	444
	2013-14	1155	703	216	218	434

* डाटाबेस में एक मामले में निविदा सूचना तिथि का अभाव

(स्रोत- संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित आपूर्ति आदेश डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXXI

(पैराग्राफ 7.3.3.2 के संदर्भ में)

भंडार की निरीक्षण में समाशोधन में लगा समय





निर्माणी	वर्ष	परीक्षित प्राप्ति वाउचर की संख्या	लगने वाला समय (दिनों में)					योग
			<16	16-30	31-60	61-90	>91	
सी एफ ए	2011-12	2133	1903	174	37	6	13	230
	2012-13	1861	1725	103	23	1	9	136
	2013-14	1488	1303	133	44	8	0	185
ओ एफ आई	2011-12	639	566	65	8	0	0	73
	2012-13	473	410	61	1	0	1	63
	2013-14	471	325	125	19	0	2	146
ओ एफ भंडारा	2011-12	3471	3041	302	117	7	4	430
	2012-13	3532	2954	446	109	16	7	578
	2013-14	4357	3608	522	172	35	20	749
एच ई एफ	2011-12	1666	1557	68	28	11	2	109
	2012-13	1287	1180	82	20	4	1	107
	2013-14	1148	971	144	24	2	7	177
योग	2011-12	7909	7067	609	190	24	19	842
	2012-13	7153	6269	692	153	21	18	884
	2013-14	7464	6207	924	259	45	29	1257

(स्रोत: संबन्धित निर्माणियों द्वारा अनुरक्षित प्राप्ति वाउचर डाटा बेस)

अनुलग्नक-XXXII

(पैराग्राफ 7.3.3.3 के संदर्भ में)

(2013-14 के दौरान कार्डाइट निर्माणी अरुवंकाडु एवं आयुध निर्माणी इटारसी के संबंध में 10 प्रतिशत अनुपस्थिति के साथ मानक श्रम घंटों का रुझान)



(स्रोत: आयुध निर्माणी बोर्ड के वित्त अनुभाग द्वारा एकत्रित निर्माणियों के उजरती कार्य लाभ एवं वास्तविक एस एम एच का विवरण)

अनुलग्नक-XXXIII

(पैराग्राफ 7.3.4.2 के संदर्भ में)

आयुध निर्माणी भंडारा में अस्वीकृति के मामले

1. 30 मि.मी. बी एम पी -II के लिए निर्माणी द्वारा 2011-14 के दौरान ₹4.6 करोड़ की लागत से निर्मित 16 एम टी प्रोपेलेंट के तीन लाट (वर्ष के दौरान उत्पादित 92.60 एम टी में से) प्रूफ के दौरान, विशिष्ट नालमुख वेग एवं दाब को प्राप्त न करने के कारण डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।
2. 2013-14 के दौरान, ₹4.2 करोड़ की लागत से उत्पादित 63 एम टी एन सी 1066 प्रोपेलेंट के 21 टन वाले दो लाट (नाइट्रो सेलुलोज आधारित प्रोपेलेंट) डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए क्योंकि यह क्लाइमेट हट परीक्षण, वूल विच परीक्षण तथा प्रोपेलेंट की सेल्फ लाइफ की निश्चितता के लिए एक्सिलरेटेड एजिंग टेस्ट में अस्वीकृत हो गया।
3. 2013-14 में ₹3.9 करोड़ की लागत से निर्मित 16.68 टन प्रोपेलेंट एन सी 688 के चार लाट(नाइट्रो सेलुलोज आधारित प्रोपेलेंट) डी जी क्यू ए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए क्योंकि यह क्लाइमेट हट परीक्षण, वूल विच परीक्षण तथा प्रोपेलेंट की सेल्फ लाइफ की निश्चितता के लिए एक्सिलरेटेड एजिंग टेस्ट में अस्वीकृत हो गया।

अनुलग्नक-XXXIV

(पैराग्राफ 7.3.4.3 के संदर्भ में)

गुणवत्ता निरीक्षण में लगने वाला समय

प्रूफ में लगा समय (दिनों में)	लाटों की संख्या जहां 30 दिन से अधिक का समय लगा
प्रोपेलेंट-एन जी बी 221	
लाटों की कुल संख्या: 42	
30-45	7
46-60	1
61-120	10
>120	1
कुल लाट	19
प्रोपेलेंट-एन जी बी 204	
लाटों की कुल संख्या: 89	
30-45	17
46-60	16
61-120	31
>120	17
कुल लाट	81
प्रोपेलेंट एम4ए2 चार्ज	
लाटों की कुल संख्या: 46	
30-45	13
46-60	8
61-120	6
>120	6
कुल लाट	33

(स्रोत: आयुध निर्माणी भंडारा द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत डाटाबेस)

अनुलग्नक-XXXV

(पैराग्राफ 7.3.4.4 के संदर्भ में)

आयुध निर्माणी इटारसी में अस्वीकृति

1. 2012-13 में निर्मित 105 मि.मी. आई एफ जी एन सी के लिए 80000 प्रोपेलेंट के दस लाटों में से, ₹10 करोड़ मूल्य के 33000 नग वाले तीन लाट, सितंबर 2012 एवं जून 2013 के मध्य गुणवत्ता आश्वासन स्थापना नियंत्रणालय (गोलाबारूद) किरकी द्वारा उच्च माध्यम विचलन तथा प्रोपेलेंटों के समग्र रूप से असंतोषजनक निष्पादन के कारण अस्वीकृत कर दिये गए।
2. 2013-14 में ₹0.66 करोड़ की लागत से निर्मित ए-7 का 8.015 टन प्रोपेलेंट वाला एक लाट (निर्मित 43 टन में से) वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (शस्त्र) वारंगांव द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वेग प्राधिकृत सीमा के अंतर्गत नहीं पाया गया।
3. 2013-14 में ₹4.29 करोड़ की लागत से निर्मित 20 लाटों (1164 ग्रैन के साथ) में से पिनाका प्रोपेलेंट का एक लाट (132 ग्रैन) परिशून्य एवं दरार के कारण अस्वीकृत एवं निस्तारण के लिए अनुशंसित कर दिया गया। 2012-13 में ₹2.18 करोड़ की लागत से निर्मित 62 सेट का एक अन्य लाट भी सितंबर 2012 में एच ई एम आर एल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि प्रोपेलेंट एम्ब्रेंट परीक्षण में विफल हो गया।
4. ₹0.55 लाख मूल्य का 8.01 टन वाला 7.62 मि.मी. बाल पाउडर प्रोपेलेंट का एक लाट (2011-12 के दौरान निर्मित 119.31 टन वाले 17 लाट में से) आयुध निर्माणी वारंगांव को निर्गमित किया गया और फिलिंग निर्माणी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ₹0.84 करोड़ की लागत से निर्मित 7.62 मि.मी. बाल पाउडर प्रोपेलेंट के 15.995 टन वाले अन्य दो लाट (निर्मित 135 टन में से) आयुध निर्माणी वारंगांव को निर्गमित किए गए तथा परेषिती निर्माणी द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।
5. ₹97 लाख मूल्य के 5.56 मि.मी. बाल पाउडर के लिए 16.02 टन प्रोपेलेंट वाले दो लाट (2011-12 के दौरान निर्मित 486.47 टन वाले 68 लाट) आयुध निर्माणी वारंगांव द्वारा, प्राधिकृत बैलिस्टिक आवश्यकता को पूरा न कर पाने के कारण अस्वीकृत कर दिये गए। निर्माणी ने हमें सूचित किया की इन दो लाटों का सुधार कर लिया गया है तथा फिलिंग निर्माणी को पुनःनिर्गमित कर दिया गया है।

अनुलग्नक-XXXVI

(पैराग्राफ 7.3.5.1 के संदर्भ में)

(मशीनों की अधिप्राप्ति में विलंब का विवरण)

I टी एन टी संयंत्र के प्रतिस्थापन में अपसामान्य विलंब

एच ई एफ में विद्यमान टी एन टी संयंत्र 1974-75 अधिप्राप्त तथा 1976-77 में स्थापित की गयी। नियमित उत्पादन 1978 से प्रारम्भ हुआ। लगातार चलने व एसिडिक धुंवे में रहने के कारण संयंत्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। नौ प्रतिष्ठित संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर एच ई एफ ने दिसंबर 2002 में नए संयंत्र के लिए कार्रवाई की। केवल एक फर्म मेसर्स एस डब्ल्यू एस, डिफेंस ए बी, स्वीडन ने बजट उद्धरण के साथ प्रतिक्रिया दी। किन्तु प्रस्तावित मशीन विद्यमान मशीन से निम्न गुणवत्ता की थी बेहतर तकनीक के संयंत्र प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुए क्योंकि यूरोपियन एवं अमेरिकन कंपनियों ने टी एन टी का उत्पादन बंद कर दिया था। इस बीच, एच ई एफ ने कुछ महत्वपूर्ण भागों का प्रतिस्थापन करके संयंत्र को चलाये रखने के लिए कार्रवाई की।

ओ एफ बी ने संयंत्र की भौतिक स्थिति की परीक्षण, उपलब्ध तकनीक के अध्ययन, प्रतिस्थापन के योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों/ नवीनीकरण, योग्य साइटों व रूपरेखा की पहचान कर प्रतिस्थापन/ नवीनीकरण (सितंबर 2006) तकनीकी एवं वित्तीय मामलों पर उचित राय देने के लिए एक समिति गठित की। समिति ने समानान्तर नाइट्रेशन सुविधा स्थापित करने व वाशिंग तथा फ्लेक बिल्डिंग नवीनीकरण की सिफारिश की। इसलिए एच ई एफ ने टी एन टी संयंत्र, रिएक्शन बिल्डिंग के प्रतिस्थापन तथा अप्रैल 2008 में मेसर्स जी ई ए प्रोसेस इंजीनियरिंग(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा से प्राप्त बजट प्रस्ताव के आधार पर ₹23.96 करोड़ की अनुमानित लागत से, नए संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक पृथक बिल्डिंग के लिए एक मांग प्रस्तुत की। मई 2009 में ओ एफ बी द्वारा माँग को स्वीकार कर लिया गया।

नवंबर 2010 एवं नवंबर 2011 में जी टी ई निर्गम हुए किन्तु आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका। टी ई सी/ ओ एफ बी ने निर्माणी द्वारा तैयार तकनीकी विशिष्टि की पुनरीक्षा की तथा प्रदूषण नियमों का पालन करने के लिए नॉक्स अवशोषण टावर शामिल करने तथा मामले पर पुनर्निविदा करने का निर्देश दिया (जुलाई 2006)

तदनुसार, एच ई एफ ने मेसर्स न्यूबर्ग, नोएडा से ₹47.59 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्राप्त किया। तथापि, ओ एफ बी ने, नॉक्स टावर सहित टी एन टी संयंत्र एवं

रिएक्शन बिल्डिंग के लिए अक्टूबर 2013 में ₹43.89 करोड़ की अनुमानित लागत को स्वीकार कर लिया।

हमने पाया कि प्रस्तावित टी एन टी संयंत्र की विशिष्टि पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी था। वरिष्ठ महाप्रबंधक ने अक्टूबर 2014 में कहा कि टी एन टी संयंत्र का प्रतिस्थापन ओ एफ बी की स्वीकृति के पश्चात हुआ था तथा सहयोगी निर्माणियों से प्राप्त मांग के अनुसार टी एन टी की आवश्यकता बढ़ती-घटती रहती है।

अतः टी एन टी संयंत्र के प्रतिस्थापन में असामान्य विलंब होने के कारण श्रमशक्ति की बचत, लागत की बचत, उत्पादकता में सुधार एवं अस्वीकृति में कमी का लाभ नहीं मिल सका। आगे, आदेश को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण ₹19.93 करोड़ की लागत अधिक हो गयी।

II डी ई एन एस ए सी संयंत्र के प्रतिस्थापन में विलंब

डी-नाइट्रेशन एवं सलफ्यूरिक अम्ल सांद्रता (डी ई एन एस ए सी) संयंत्र दो प्रचालनों, यथा, निस्कर्षित अम्ल कचरा के डीनाइट्रेशन तथा सलफ्यूरिक अम्ल की सांद्रता में प्रयुक्त किया जाता है।

विद्यमान संयंत्र, एच ई एफ में 1954 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में इसकी दशा खराब हो चुकी है। मई 2008 में, एच ई एफ ने डी ई एन एस ए सी संयंत्र की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की स्वीकृति प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर ओ एफ बी ने अक्टूबर 2009 में, ₹48.03 करोड़ की अनुमानित लागत पर, स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

जी टी ई निर्गम किया गया जिसके उत्तर में, दो फर्मों, (i) मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे जो कि मेसर्स दी-डाइट्रिक, जर्मनी के सहयोग से कार्य करता है (ii) मेसर्स अकर सल्यूशन, मुंबई से प्रस्ताव प्राप्त हुए। मेसर्स अकर सल्यूशन का प्रस्ताव टी ई सी/ ओ एफ बी में अस्वीकृत हो गया तथा मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे का फलतः एकल प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 07/03/2012 को आयोजित कालेजिएट समिति कि बैठक में मामले पर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

चूंकि, पूर्व के बजट उद्धरण में कुछ मदों को शामिल नहीं किया गया था, जो कि तीन वर्ष से अधिक पुराने थे तथा यूरो के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी, मई 2012 में, बोर्ड को, ₹60.69 करोड़ की संशोधित अनुमानित लागत प्रस्तुत की गयी, जिस पर बोर्ड ने जून 2012 में स्वीकृति प्रदान की।

सितंबर 2012 के टी ई के प्रति डी ई एन एस ए सी संयंत्र की आपूर्ति के लिए, चार फर्मों ने उद्धरण प्रस्तुत किया। 06/06/2013 को तकनीकी बिड खोले गए, निर्माणी टी ई सी-1 ने नवंबर 2013 में, मूल्य बिड खोलने के लिए, चारो फर्मों के प्रस्तावों को

मोल-तोल के लिए ओ एफ बी को संदर्भित कर दिया। ओ एफ बी ने एच ई एफ को कुछ संदेहास्पद विषयों को हल करने तथा प्रस्तावों को पुनः आकलित करने के बारे में सूचित किया (दिसंबर 2013)। ओ एफ बी के दिशानिर्देश के अनुपालन में, टी ई सी-1 ने फरवरी 2014 में निर्णय लिया तथा मेसर्स आर्चिविस्टा, पुणे के प्रस्ताव की अनुशंसा की। तथापि, ओ एफ बी ने एच ई एफ को, विचलन को दूर करने /फ़र्मों की क्षमता का आकलन करने हेतु फ़र्मों को पुनः आमंत्रित करने निर्देश दिया (अप्रैल 2014)।

तदनुसार, एच ई एफ ने फ़र्मों की क्षमता के आकलन के लिए विचलनों की छटाई की। इस बीच, निर्माणी के अनुरोध पर सभी फ़र्मों ने अपनी वैधता, नवंबर 2014 तक बढ़ा दी।

अतः आदेश को अंतिम रूप देने/प्रस्तुत करने में विलंब के कारण, ₹12.66 करोड़ की लागत बढ़ गयी (₹60.69 करोड़- ₹48.03 करोड़) तथा प्रतिवर्ष ₹15.31 करोड़ की संभावित बचत प्राप्त नहीं की जा सकी।

अनुलग्नक-XXXVII

(पैराग्राफ 7.3.5.3 के संदर्भ में)

(2011-14 के दौरान उत्पादन लागत, उपरिव्यय तथा उत्पादों के निर्गम में लाभ/हानि का रुझान)

(i) 2011-14 के दौरान चार रासायनिक निर्माणियों के उत्पादन लागत का रुझान

एच ई एफ

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	163.23	137.40 (-15.82 प्रतिशत)	161.16 (17.29 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	49.93	62.55 (25.28 प्रतिशत)	27.61 (- 55.86 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	11.61	6.90 (- 40.57 प्रतिशत)	37.02 (436.52 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	61.54	69.45 (12.85 प्रतिशत)	64.63 (-6.94 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	30.59	45.52	17.13
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	7.11	5.02	22.97
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	37.70	50.54	40.10

सी एफ ए

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	144.32	159.73 (10.68 प्रतिशत)	157.84 (-1.18 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	67.77	71.88 (6.06 प्रतिशत)	73.23 1.88 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	8.69	8.39 (- 3.45 प्रतिशत)	9.11 (8.58 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	76.46	80.27 (4.98 प्रतिशत)	82.34 (2.58 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	47	45	46
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	6	5	6
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	53	50	52

ओ एफ भंडारा

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	191.64	207.22 (8.13 प्रतिशत)	257 (24.02 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	85.74	85.64 (-0.12 प्रतिशत)	103.67 (21.06 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	53.75	12.94 (- 51.74 प्रतिशत)	32.53 (25.44 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	139.49	111.58 (-20.01 प्रतिशत)	136.22 (22.08 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	45	41	40
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	28	13	13
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	73	54	53

ओ एफ इटारसी

व्यय की मद	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन लागत (₹ करोड़ में)	217.20	216.87 (- 0.15 प्रतिशत)	252.54 (16.45 प्रतिशत)
एफ ओ एच (₹ करोड़ में)	86.35	95.46 (11 प्रतिशत)	101.94 (7 प्रतिशत)
वी ओ एच (₹ करोड़ में)	16.23	18.74 (15.74 प्रतिशत)	23.79 (26.95 प्रतिशत)
टी ओ एच (₹ करोड़ में)	102.57	114.20 (11.33 प्रतिशत)	125.73 (10.10 प्रतिशत)
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में एफ ओ एच	40	44	40
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में वी ओ एच	7	9	9
सी ओ पी के प्रतिशत के रूप में टी ओ एच	47	53	49

(ii) प्रत्यक्ष श्रम के संदर्भ में उपरिव्यय का रुझान

आयुध निर्माणियों में, उपरिव्यय, प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में प्रभारित किया जाता है। इसलिए, प्रत्यक्ष श्रम के साथ एफ ओ एच/ वी ओ एच का सीधा संबंध होता है। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

निर्माणी	2011-12 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)			2012-13 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)			2013-14 (विगत वर्ष के प्रति बदलाव की प्रतिशतता)		
	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच	डी एल	एफ ओ एच	वी ओ एच
एच ई एफ	30.76	134.19	-62.06	-9.54	25.28	-40.57	15.01	-55.86	436.52
सी एफ ए	13.09	13.35	24.86	17.27	6.06	-3.45	5.89	1.88	8.58
ओ एफ बी ए	15.76	18.52	5.60	18.00	-0.12	-51.74	17.88	21.06	25.44
ओ एफ आई	24.79	12.26	-5.47	-13.42	10.55	15.47	21.84	6.79	26.95

(iii) मांगकर्ताओं को उत्पादों के निर्गम (प्रतिदर्श मदों) लाभ/हानि का रुझान

निर्माणी	2011-12 (₹ करोड़ में)		2012-13 (₹ करोड़ में)		2013-14 (₹ करोड़ में)	
	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को	आई एफ डी निर्गम	सीधे मांगकर्ताओं को
ओ एफ बी ए	-10.70	1.11	-0.69	5.87	4.80	6.18
ओ एफ आई	23.12	0.02	0.69	27.38	-15.89	-0.65
एच ई एफ	-8.53	10.28	-31.73	-0.90	-3.63	-1.31
सी एफ ए	3.51	0	-1.79	0	-8.24	0
योग	7.40	11.41	-33.59	32.35	-22.96	4.22

(स्रोत: 2011-14 के वर्षों के लिए आयुध निर्माणी संगठन के वार्षिक लेखे से निष्कर्षित प्रत्येक निर्माणी के आउटटर्न विवरण का सारांश)

अनुलग्नक: XXXVIII

(पैराग्राफ 7.3.6.2 के संदर्भ में)

(लागू पर्यावरणीय वैधानिक रूपरेखा के समेकन को दर्शाने वाला विवरण)

1. पर्यावरण के संबंध में निर्माणियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण के लिए कई राष्ट्रीय कानून विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य का अपना कानून होता है। राष्ट्रीय कानून में ये शामिल हैं:
 - I. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974.
 - II. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) कर अधिनियम 1977.
 - III. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) कर (संशोधन) अधिनियम 2003.
 - IV. वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981.
 - V. पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम 1986.
 - VI. हानिकारक कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 1989 जैसा कि 2000 में संशोधित किया गया.
 - VII. निर्माण, भंडारण, एवं आयात अथवा हानिकारक रसायन नियम 1989 जैसा कि 2000 में संशोधित किया गया.
 - VIII. लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991.
 - IX. रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए आपात नियोजन तैयारी तथा प्रतिक्रिया नियम 1996.
 - X. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995.
 - XI. रासायनिक दुर्घटना (आपात नियोजन तैयारी तथा प्रतिक्रिया) नियम 1996.
 - XII. पुनःचक्रित प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग नियम 1999.
 - XIII. भारतीय बायलर अधिनियम 1923
 - XIV. गैस सिलिंडर नियम 1981 फ्लाइं एश अधिसूचना 1999.

XV. नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 2000.

2. प्रत्येक कानून के विशिष्ट प्रावधान निम्नवत हैं:

I. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974

इस अधिनियम में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने, उसकी रोकथाम करने व उसकी शुद्धता कायम रखने के लिए प्रावधान दिये गए हैं। इस प्रकार, इस अधिनियम में, जल की गुणवत्ता से संबन्धित सभी मानवीय कार्यकलापों पर उपबंध समाविष्ट हैं। इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी) की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उद्योग, प्रक्रम या प्रचालन, कोई उपचारी तथा निस्तारण प्रणाली स्थापित या उसका विस्तार नहीं कर सकता जिससे नाले का पानी व व्यापार अपगामी का बहते जल, कुएं या भूमि पर रिसाव होने की संभावना हो। इसके लिए संबन्धित एस पी सी बी से 'स्थापना की स्वीकृति' तथा उद्योग की स्थापना के बाद उसके 'प्रचालन की स्वीकृति' लेनी होती है।

II. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) कर अधिनियम 1977

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अधिनियम के अंत में संलग्न अनुसूची में दी गयी उद्योग की कुछ श्रेणियों द्वारा खपत किए गए जल पर उपकर लगाना और वसूलना है। इस प्रकार एकत्रित धन से, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल प्रदूषण नियंत्रित एवं उसकी रोकथाम करता है।

III. वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981

वायु अधिनियम 1981 का उद्देश्य, ध्वनि प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना व कम करना है। इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में, एस पी सी बी की अनुमति के बिना, कोई औद्योगिक संयंत्र न तो स्थापित कर सकता है और न ही उसका परिचालन कर सकता है। निर्माणी प्रचालक को एस पी सी बी/प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। औद्योगिक संयंत्र परिचालित करने वाला कोई व्यक्ति, एस पी सी बी द्वारा निश्चित किए गए मानकों से अधिक प्रदूषक वायु का उत्सर्जन नहीं कर सकता है तथा उसे संबन्धित नियम एवं शर्तों का अनुपालन करना होता है।

IV. पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986

यह पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार एवं उससे संबन्धित मामलों के लिए एक छत्र अधिनियम है। इसके अनुसार, औद्योगिक संयंत्र या कोई प्रक्रम संचालित करने

वाला कोई व्यक्ति, प्राधिकृत मानकों से अधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं कर सकता है

खतरनाक रासायनिक कचरे, रद्दी आदि के प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नियमों के कई संग्रह अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों में स्थान के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं तथा द्रव अपगामी व शोरगुल के उत्सर्जन के विषय में अधिसूचित किया गया है। प्रदूषकों के संबंध में मानकों को, विशेषकर, उच्च प्रदूषक उद्योगों के मामले में, अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर लागू करना होता है। तथापि, यदि कोई विशिष्ट एस पी सी बी चाहे तो इस समयावधि को कम कर सकता है एवं अपने कार्यक्षेत्र में उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए और कड़े नियम बना सकता है। तथापि, एस पी सी बी, भारत सरकार द्वारा निश्चित मानकों अथवा समय सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं कर सकता। धारा 15 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर सज़ा, अर्थदण्ड, एवं जेल भी हो सकती है।

इस अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के पास, पर्यावरण प्रदूषण रोकने, कम करने, नियंत्रित रखने व बेहतर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार प्राप्त है।

खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के लिए प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय, निषेध आदि के साथ साथ उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंधों व निषेधों तथा विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन व प्रक्रमण पर अधिसूचित किया गया है। नाजुक क्षेत्रों जैसे यू पी मे दून घाटी, अलवर, राजस्थान में अरावली क्षेत्र, समुद्र किनारे के क्षेत्र, भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों आदि (एम ओ ई एफ, 1989 व 1992 ए) में विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खतरनाक पदार्थ के रख रखाव के दौरान दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत देने के लिए लोक दायित्व बीमा (पी एल आई) अधिनियम 1991 का भी प्रवर्तन किया गया है (एम ओ ई एफ, 1991 व 1992 बी)।

V. खतरनाक कचरा (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम 1989 व 2000

संक्षिप्त में, एच डब्ल्यू नियमावली 1989 के अनुसार, खतरनाक कचरे के साथ कार्य करने वाले कार्मिक को रद्दी के रखरखाव के बारे में फार्म-1, रद्दी के रख रखाव का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए फार्म-2, उचित अभिलेख फार्म-3, वार्षिक प्रतिवेदन फार्म-4, पैकेज, परेषण को लेबल करना आदि को बराबर करना, दुर्घटना की तत्काल सूचना देने के लिए फार्म-5 तथा खतरनाक कचरे के आयात-निर्यात की प्रतिवेदन फार्म-6 में दी जाती है। खतरनाक रद्दी को 18 श्रेणियों में बाटा गया है।

विगत दिनों में, एम ओ ई एफ ने 6 जनवरी 2000 में (एम ओ ई एफ, 2000 ए) एच डब्ल्यू (एम & एच) संशोधन नियमावली को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, टॉक्सिक रसायन, ज्वलनशील रसायन व विस्फोटकों को 'खतरनाक रसायन' के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है। नए मानदंडों के अनुसार, एच डब्ल्यू नियमावली, 1989 में वर्णित 4343 रसायनों के स्थान पर 684 खतरनाक रसायनों की पहचान की गयी है। सभी खतरनाक पदार्थों को तीन श्रेणियों में रखा गया है (i) प्रक्रम विशिष्ट औद्योगिक रद्दी (ii) सांद्रता सीमा के साथ रद्दी पदार्थ तथा (iii) केवल आयात एवं निर्यात के लिए आवश्यक रद्दी। प्राधिकार आवेदन पर एस पी ई बी द्वारा 90 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाती है। यह 5 वर्ष तक वैध रहता है, तथा इसका नवीनीकरण, उत्सर्जित, पुनःचक्रित अथवा पुनःप्रयुक्त कचरे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करता है। खतरनाक कचरे के निस्तारण के लिए स्थान की पहचान राज्य सरकार, सुविधा के प्रचालक अथवा स्वामी द्वारा की जाती है। उपयुक्त साइट के चयन के लिए ई आई ए संपादित की जाती है। सुझावों तथा आपत्तियों पर लोक सुनवाई की व्यवस्था, एस पी सी बी द्वारा 30 दिनों के अंदर की जाती है। एस पी सी बी, सुविधा की स्थापना व उसके प्रचालन सतत अनुश्रवण करता है। लैंडफिल साइट का प्रचालन एवं समापन, नियम 8ए के तहत, एस पी सी बी द्वारा किया जाता है। एकत्रीकरण एवं निस्तारण के लिए खतरनाक कचरे का आयात निर्यात बिलकुल प्रतिबंधित है। इसकी अनुमति केवल तभी है जब कच्चे माल को पुनःचक्रण अथवा पुनः उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है।

VI. खतरनाक कचरे के निर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली 1989 & 2000 .

इन नियमों के अंतर्गत, किसी भी खतरनाक उद्योग में संलग्न व्यक्ति को संभावित खतरा व जोखिम क्षेत्र की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें साइट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने व उसके प्रभाव को सीमित रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाया जाना भी आवश्यक है। अनुसूची-7 के अनुसार, दुर्घटनाओं की सूचना को अद्यतन किया जाना चाहिए। प्रक्रमित किए जा रहे सभी रसायनों का सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एम एस डी एस) तैयार किया जाना चाहिए। साइटों पर संलग्न कार्मिकों को, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सूचना, प्रशिक्षण तथा आवश्यक उपस्कर प्रदान किए जाने चाहिए। साइट पर कोई काम प्रारम्भ करने के पहले, आन-साइट आपात योजना तैयार की जानी चाहिए। साइट पर किसी संभावित दुर्घटना के लिए योजना कार्यान्वयक के सहयोग से जिलाधिकारी द्वारा आफ-साइट आपात योजना तैयार की जानी चाहिए। संयंत्र के आस-पास रहने वाले लोगों को घातक दुर्घटनाओं की प्रकृति जो कि साइट पर घट सकती हैं, के बारे में, सूचित किया जाना चाहिए तथा ऐसी स्थिति आने पर 'ड्रैज एण्ड डॉट' की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। खतरनाक रसायनों के आयात के बारे में, आयात की तारीख से 30 दिनों के अंदर, संबन्धित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

विगत दिनों में, एम ओ ई एफ ने, 20 जनवरी, 2000 में एम एस आई एच सी नियमों, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए संशोधनों के अनुसार, खतरनाक रसायनों की संख्या में वृद्धि के साथ अनुसूची-1 को समाविष्ट किया गया है। प्राधिकार का नवीनीकरण, खतरनाक कचरे के निस्तारण; उत्सर्जित, पुनःचक्रित अथवा पुनः प्रयुक्त कचरे की मात्रा में कमी का प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, प्राधिकार शर्तों को पूरा करने एवं प्रक्रमण तथा एवं विश्लेषण शुल्क जमा करने पर ही संभव हो सकेगा। राज्य सरकार तथा स्वामी, सामान्य कचरा निस्तारण सुविधा के लिए साइट की पहचान, के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। गज़ट अधिसूचना, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 (एम ओ ई एफ, 1997, रस्तोगी 1997ए एवं 2000 सी) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार कोई सामान्य खतरनाक कचरा निस्तारण सुविधा के लिए, राज्य सरकार द्वारा साइट की अधिसूचना निर्गम होने के पूर्व, जन सुनवाई अनिवार्य रूप से आयोजित की जाय। सामान्य कचरा निस्तारण सुविधा/लैंडफिल साइट के लिए केंद्र/राज्य सरकार, डिजाइन, प्रचालन एवं समापन संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करेंगी। प्रस्तावित खतरनाक कचरा निस्तारण सुविधा के डिजाइन एवं रूपरेखा के लिए एस पी सी बी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। खतरनाक कचरे के निर्यात एवं आयात के विनियमन हेतु एम एस आई एच सी नियमावली, 2000 में, भी विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है।

VII. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

यह अधिनियम, भारत का एकल अधिनियम है जिसमें अधिसूचित खतरनाक रासायनिक पदार्थों में से किन्हीं पदार्थों के रख रखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा चोट अथवा संपत्ति की क्षति होने पर स्वामी के ऊपर तात्कालिक राहत देने की व्यवस्था उपलब्ध करता है। यह सहायता 'दोषहीनता' आधार पर प्रदान की जाती है। खतरनाक रासायनिक पदार्थों के रख रखाव में लिप्त स्वामी को क्षतिपूर्ति के दायित्व को पूरा करने के लिए 'भुगतान की पूंजी' अथवा ₹500 मिलियन, दोनों में से जो कम हो, की एक बीमा पालिसी लेनी पड़ती है। पालिसी को प्रतिवर्ष नवीनीकृत करना पड़ता है। इस कार्यकलाप का प्रारम्भ करने के पूर्व, इस पालिसी के लिए नया घोषणापत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। स्वामी को, केंद्र सरकार के पर्यावरण राहत कोष (ई आर एफ) को, वार्षिक प्रीमियम के बराबर की राशि का भुगतान करना पड़ता है। घातक दुर्घटनाओं की स्थिति में ₹12,500 तक के प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त ₹25000 तक की सहायता का प्रावधान है। बीमा का दायित्व, प्रति दुर्घटना ₹150 मिलियन प्रतिवर्ष अथवा पालिसी की अवधि तक, ₹50 मिलियन तक सीमित है। इस दायित्व से अधिक किसी दावे का भुगतान ई आर एफ से किया जाएगा। यदि, राशि फिर भी अधिक होती है, तो शेष राशि का भुगतान स्वामी को करना पड़ता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान, केवल तात्कालिक राहत की होती है, तथा स्वामी को, कानूनी प्रक्रियाओं के कारण (एम ओ ई एफ,

1991 एवं 1992; सिंह ई.टी.एल 1994) देय अंतिम क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है।

VIII. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995, खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति हेतु कड़ा दायित्व तय करने के लिए देश भर में कानूनी संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से तथा व्यक्ति, संस्था तथा पर्यावरण को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, इस प्रकार की दुर्घटनाओं के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण तैयार करने के लिए बनाया गया था।

(*स्रोत: भारत सरकार के संबन्धित पर्यावरण अधिनियम*)

अनुलग्नक - XXXIX

(पैराग्राफ 8.1.2.2 के संदर्भ में)

कुल संख्या तथा चयनित प्रतिदर्शों की संख्या का विवरण

(₹ करोड़ में)

निर्माण इकाई/प्रभाग	क्रय आदेशों की संख्या	क्रय आदेशों का मूल्य	प्रतिदर्श क्रय आदेशों की संख्या	प्रतिदर्श क्रय आदेशों का मूल्य
बेंगलोर	14,911	2,958.61	420	2,000.10
मैसूर	23,691	1,908.31	390	1,063.71
कोलार गोल्ड फील्ड	34,129	1,952.15	553	766.76
विपणन प्रभाग	14,063	2,188.61	214	1,667.94
योग	86,794	9,007.68	1,577	5,498.51